




75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

JKD C

Your partners in Industrial Development
in UT of J&K and UT of Ladakh

**JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE
CORPORATION LIMITED**

(A Government of India Enterprise)



**18TH ANNUAL
REPORT 2022-23**





जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

**JAMMU AND KASHMIR
DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED**
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : भूतल, जवाहर लाल नेहरू उद्योग भवन,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) – 180012
कॉर्पोरेट कार्यालय : भूतल, संगत घर, बेमिना, श्रीनगर (जे एंड के)–190014
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, डीआरडीए भवन, चीता चौक, लेह–194101
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, आरएंडबी भवन, नया बस स्टैंड, इकबाल पुल के पास,
कारगिल यूटी लद्दाख–194103

Registered Officer : Ground Floor, Jawahar Lal Nehru Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu (J&K)-180012
Corporate Officer : Ground Floor, Sanat Ghar,
Bemina, Srinagar (J&K)-190014
Branch Office : 1st Floor, DRDA Building, Cheetah Chowk, Leh-194101
Branch Office : 1st Floor, R&B Building, New Bus Stand, Near Iqbal Bridge,
Kargil U.T of Ladakh-194103

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2022-23

FROM THE MANAGING DIRECTOR'S DESK

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड 2005 में अपनी स्थापना के बाद से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के औद्योगिक विकास में बहुआयामी भूमिका निभाते हुए, हम क्षमता निर्माण, जागरूकता निर्माण और वित्तीय सहायता में लगे हुए हैं। हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस दिशा में, हम बाधा रहित ऋण प्रदान करने, विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित प्रोत्साहनों का वितरण, औद्योगिक परामर्श सेवाएं, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और मूल्यांकन करने में सक्रिय हैं।



Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited since its inception in 2005 is working for the development of the regions of Jammu, Kashmir & Ladakh. While playing a multi-dimensional role in the industrial development of the UTs of Jammu-Kashmir & Ladakh, we are engaged in capacity building, awareness creation and financial support. Our primary activity is nurturing developmental activities in and for the regions. Towards this end, we are active in providing hassle free loans, distribution of centrally sponsored incentives across various sectors, industrial consultancy services, preparation and appraisal of project reports.

इन प्रयासों में, हमने खुद को केवल औद्योगिक गतिविधियों के वित्तपोषण तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि हम संभावित उद्यमियों के साथ संवाद करते हैं और उनके इस कार्य में एक संलग्न हितधारक के रूप में उनके साथ काम करते हैं। हमने शुरुआत से ही लोगों की उद्यमशीलता की भावना को जीवंत करते हुए और इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में आगे बढ़ाते हुए 10,065 लाख रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं। अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए, हमने हाल ही में लेह एवं कारगिल, लद्दाख में कार्यालय स्थापित किया है। ये कार्यालय इन क्षेत्रों में लोगों की उद्यमशीलता पहल को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए काम करते हैं।

In these endeavors, we have not limited ourselves to just financing industrial activities, but we interact with prospective entrepreneurs and work with them as an engaged stakeholder throughout their journey. We have sanctioned loans worth over Rs. 10,065 lakhs since inception bringing to life the entrepreneurial spirit of people and channeling it towards regional development. Expanding our reach, we have recently established a branch office in Leh and Kargil, Ladakh. These offices work to kindle and support the entrepreneurial initiatives of people in these regions.

समय की ज़रूरतों के अनुसार नया आविष्कार करते हुए, हमने निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, विभिन्न छोटी और लघु जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल करते हुए अपने उत्पाद और सेवा आधार का विस्तार किया है। अब हम विभिन्न योजनाओं के तहत समग्र कार्यशील पूंजी सावधि ऋण वित्तपोषण और निजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए क्रमशः "होस्पिटल प्लस" और "एजेकेशनल इन्सिटीट्यूशन प्लस" योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होम-स्टे के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना भी है। इसके अलावा, हमने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के रूप में 13,55,756.00 रुपये का योगदान दिया है। सीएसआर राशि का उपयोग श्रीनगर में पोर्टेबल शौचालय इकाइयों को चालू करने और जम्मू में सार्वजनिक शौचालय परिसर के नवीनीकरण/उन्नयन के लिए किया गया था।

Reinventing in accordance with the needs of the times, we have widened our product and service base to include construction companies, contractors, diagnostic centers, various mini & small hydro power projects. We now offer composite working capital term loan financing under various schemes and loans for private hospitals and educational institutions through the "Hospital Plus" and "Educational Institutional Plus" schemes respectively. Also we have JKDFC loan scheme for home-stays. Further, we have contributed Rs.13,55,756.00 as Corporate Social Responsibility (CSR) for the Financial year 2022-23 to Sulabh International Social Service Organisation. The CSR money was utilized for commissioning of portable toilet units at Srinagar & renovation/up gradation of public toilet complex at Jammu.

मैं क्षेत्र के विकास के प्रयासों में हमारे सभी सम्मानित हितधारकों को उनके समर्थन और साझा भागीदारी के लिए धन्यवाद देती हूँ। हम इस दिशा में अनवरत काम करेंगे और इस संबंध में रचनात्मक गतिविधियों में अपना सहयोग एवं समर्थन देने का वादा करते हैं। हम क्षेत्र के लोगों के समर्थन से समावेशी विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रगति लाने की आशा करते हैं।

I thank all our esteemed stakeholders for their support and shared engagement in striving towards the development of the regions. We shall continue to work towards this end and promise our support to constructive activities in this regard. We hope to bring inclusive development and environmentally conscious progress with the support of the people of the region.

डॉ जिविषा जोशी गंगोपाध्याय

Dr. Jivisha Joshi Gangopadhyay

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

अध्यक्ष (पदेन) Chairman (Ex-officio)	श्री अनुराग जैन Shri Anurag Jain	सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (27.09.2021 से 20.04.2023 तक) Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f 27.09.2021 till 20.04.2023)
अध्यक्ष (पदेन) Chairman (Ex-officio)	श्री राजेश कुमार सिंह Shri Rajesh Kumar Singh	सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (20.04.2023 से) Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f 20.04.2023)

निदेशक / DIRECTORS

निदेशक Director	श्री राजेंद्र रतनू Shri Rajendra Ratnoo	संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (04-04-2019 से 09-02-2023 तक) Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 04-04-2019 till 09-02-2023)
निदेशक Director	श्री बालामुरुगन डी. Shri Balamurugan D.	संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (10-05-2023 से) Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 10-05-2023)
निदेशक Director	श्री मनीष तिवारी Shri Manish Tiwari	संयुक्त सचिव (जेकेएस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार। (28-12-2020 से 18-08-2022 तक) Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, Govt. of India. (w.e.f. 28-12-2020 till 18-08-2022)
निदेशक Director	श्री आशुतोष अग्निहोत्री Shri Ashutosh Agnihotri	संयुक्त सचिव (जेकेएस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार। (18-08-2022 से 18-01-2023 तक) Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, Govt. of India. (w.e.f. 18-08-2022 till 19.01.2023)
निदेशक Director	श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे Shri Prashant Sitaram Lokhande	संयुक्त सचिव (जेकेएस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार। (19-01-2023 से) Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, Govt. of India. (w.e.f. 19.01.2023)
निदेशक Director	श्री अटल डुल्लू Shri Atal Dulloo	वित्तीय आयुक्त, वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार। (18.08.2021 से 04-05-2022 तक) Financial Commissioner, Department of Finance, Govt. of J&K. (w.e.f. 18.08.2021 till 04-05-2022)
निदेशक Director	श्री संतोष डी वैद्य Sh. Santosh D Vaidya	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार। (16.06.2023 से) Principal Secretary, Department of Finance, Govt. of J&K. (w.e.f. 16.06.2023)
निदेशक Director	श्री रंजन प्रकाश ठाकुर Sh. Ranjan Prakash Thakur	प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार (01.03.2021 से 28.04.2022 तक) Principal Secretary, Department of Industry & Commerce, Govt. of J&K. (w.e.f. 01.03.2021 till 28.04.2022)

निदेशक Director	श्री विवेक भारद्वाज Shri Vivek Bhardwaj	वित्तीय आयुक्त, वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार एवं प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार। (28.04.2022 से 30.09.2022 तक) Financial Commissioner, Department of Finance, Govt. of J&K & Administrative Secretary, Industries & Commerce Department, Govt. of J&K. (w.e.f. 28.04.2022 till 30.09.2022)
निदेशक Director	श्री प्रशांत गोयल Sh. Prashant Goyal	प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार। (02.10.2022 से 26.05.2023 तक) Principal Secretary, Department of Industry & Commerce, Govt. of J&K. (w.e.f. 02.10.2022 till 26.05.2023)
निदेशक Director	श्री विक्रमजीत सिंह Sh. Shri Vikramjit Singh	आयुक्त/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार। (26.05.2023 से) Commissioner/Secretary, Department of Industry & Commerce, Govt. of J&K. (w.e.f. 26.05.2023)
निदेशक Director	श्री सौगत विश्वास Shri Saugat Biswas	संभागीय आयुक्त एवं प्रशासनिक सचिव, आई एवं सी, यूटी लद्दाख। (25.04.2022 से 05.07.2023 तक) Divisional Commissioner & Administrative Secretary, I&C, UT of Ladakh. (w.e.f. 25.04.2022 till 05.07.2023)
प्रबंध निदेशक Managing Director	डॉ जिविषा जोशी गंगोपाध्याय Dr Jivisha Joshi Gangopadhyay	उप सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (22-03-2022 से) Deputy Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 22-03-2022)
भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक Director representing LIC of India	श्री मनोज कुमार खेमू Shri Manoj Kumar Kemmu	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम, भारतीय जीवन बीमा निगम। (14.03.2022 से 30.05.2023 तक) Director, Zonal Training Centre, Gurugram, Life Insurance Corporation of India. (w.e.f. 14.03.2022 till 30.05.2023)
भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक Director representing LIC of India	श्री कुलदीप टिक्कू Shri Kuldeep Tickoo	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल, भारतीय जीवन बीमा निगम। (06.06.2023 से) Director, Zonal Training Centre, Bhopal, Life Insurance Corporation of India. (w.e.f. 06.06.2023)
गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक Non-Official Independent Director	श्री सुनील कुमार बघेल Shri Sunil Kumar Baghel	गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी (23-09-2020 से 27.07.2023 तक) Non-Official Independent Director, JKDFC (w.e.f. 23-09-2020 till 27.07.2023)
गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक Non-Official Independent Director	श्रीमती रशीम सूद Smt. Rashim Sood	गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी (23-09-2020 से 27.07.2023 तक) Non-Official Independent Director, JKDFC (w.e.f. 23-09-2020 till 27.07.2023)

नोटिस

इस पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड की 18वीं (अठारहवीं) वार्षिक आम सभा का आयोजन निम्न कार्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 04:00 बजे आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम 2013 धारा 143(6)(ख) के प्रावधानों के संदर्भ में उक्त लेखापरीक्षित खातों पर सीएजी की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना और अंगीकार करना।

विशेष कार्य :

2. कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में कंपनी के निदेशक के रूप में श्री सौगत बिस्वास की नियुक्ति को नोट करना और अनुमोदित करना। तदनुसार, शेयरधारकों से निम्नलिखित संकल्पों पर संशोधन के साथ अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और पारित करने का अनुरोध किया गया:

श्री सौगत बिस्वास की नियुक्ति को कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115 (ख) के संदर्भ में अनुमोदित किया जाता है।

3. कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में कंपनी के निदेशक के रूप में श्री प्रशांत गोयल की नियुक्ति को नोट करना और अनुमोदित करना। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करें और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:

श्री प्रशांत गोयल की नियुक्ति को कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में अनुमोदित किया जाता है।

NOTICE

Notice is hereby given that the 18th (eighteenth) Annual General Meeting of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Ltd. will be held on Friday, 29th day of September, 2023 at 04:00 p.m through Video Conferencing to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended on 31st March, 2023 along with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the comments of CAG on the said Audited Accounts in terms of the provisions of the Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013.

Special Business:

2. To note and approve the appointment of Shri Saugat Biswas as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

“Resolved that the appointment of Shri Saugat Biswas as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

3. To note and approve the appointment of Shri Prashant Goyal as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

“Resolved that the appointment of Shri Prashant Goyal, as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

4. कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में कंपनी के निदेशक के रूप में श्री प्रशांत लोखंडे की नियुक्ति को नोट करना और अनुमोदित करना। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करें और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:

“यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी के निदेशक के रूप में श्री प्रशांत गोयल की नियुक्ति को कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115 (ख) के संदर्भ में अनुमोदित किया जाता है।”

5. कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में श्री राजेश कुमार सिंह की नियुक्ति को नोट करना और अनुमोदित करना। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करें और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:

“यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में श्री राजेश कुमार सिंह, आईएएस की नियुक्ति को कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में अनुमोदित किया जाता है।”

6. कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में कंपनी के निदेशक के रूप में श्री बालामुरुगन डी. की नियुक्ति को नोट करना और अनुमोदित करना। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करें और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:

कंपनी के निदेशक के रूप में श्री बालामुरुगन डी. की नियुक्ति को कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में अनुमोदित किया जाता है।”

7. कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में कंपनी के निदेशक के रूप में श्री विक्रमजीत सिंह की नियुक्ति को नोट करना और अनुमोदित करना। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करें और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:

4. To note and approve the appointment of Shri Prashant Lokhande as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

“Resolved that the appointment of Sh. Prashant Lokhande, as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

5. To note and approve the appointment of Shri Rajesh Kumar Singh as Director and Chairman of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

“Resolved that the appointment of Shri Rajesh Kumar Singh, IAS, as a Director and Chairman of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

6. To note and approve the appointment of Shri Balamurugan D. as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

“Resolved that the appointment of Shri Balamurugan D. as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

7. To note and approve the appointment of Shri Vikramjit Singh as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

श्री विक्रमजीत सिंह की नियुक्ति को कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में अनुमादित किया जाता है।”

8. कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में कंपनी के निदेशक के रूप में श्री कुलदीप टिक्कू की नियुक्ति को नोट करना एवं अनुमोदन करना। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करें और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:

“यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी के निदेशक के रूप में श्री कुलदीप टिक्कू की नियुक्ति को कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।”

9. कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में कंपनी के निदेशक के रूप में श्री संतोष वैद्य की नियुक्ति को नोट करना और अनुमोदित करना। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करें और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:

कंपनी के निदेशक के रूप में श्री संतोष वैद्य की नियुक्ति को कंपनी के नियमों के अनुच्छेद 115(ख) के संदर्भ में अनुमोदित किया जाता है।”

टिप्पणियाँ:

1. कॉर्पोरेट सदस्यों/संस्थागत सदस्यों (एलआईसी ऑफ इंडिया और जेएंडके बैंक लिमिटेड) से अनुरोध है कि वे कंपनी के नियमों (जेकेडीएफसी) के अनुच्छेद 103 (क) (ख) (ग) और अनुच्छेद 104 का अध्ययन करें, जिसका उद्धरण संलग्न है।
2. यहां ऊपर नोटिस में उल्लिखित वस्तुओं के समर्थन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार एजेंडा नोट्स/स्पष्टीकरण विवरण संलग्न हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के अनुसार कंपनी (जेकेडीएफसी) के सभी शेयरधारकों द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, यह 18वीं एजीएम कम समय की सूचना पर बुलाई जा रही है।

“Resolved that the appointment of Shri Vikramjit Singh as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

8. To note and approve the appointment of Shri Kuldeep Tickoo as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

“Resolved that the appointment of Shri Kuldeep Tickoo as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

9. To note and approve the appointment of Shri Santosh Vaidya as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

“Resolved that the appointment of Shri Santosh Vaidya as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company.”

Notes:

1. Corporate members /institutional members (LIC of India & The J&K Bank Ltd.) are requested to peruse Article 103(a)(b)(c) and Article 104 of Articles of Association of the Company(JKDFC), extract of which is enclosed.
2. The Agenda Notes/Explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 in support of the items mentioned in the notice hereinabove are enclosed.
3. As per consent given by all the shareholders of the Company (JKDFC) pursuant to Section 101 (1) of the Companies Act, 2013, this 18th AGM is being convened at a shorter notice.

4. निगम की 18वीं वार्षिक आम बैठक में वर्चुअल/ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए वेब लिंक मेल में दिया गया है।

बोर्ड की आज्ञानुसार

ह./—

(कामाक्षी सिंह)

कंपनी सचिव

प्रतिलिपि: जेकेडीएफसी के सभी सदस्य, निदेशक और लेखा परीक्षक।

4. The web link for joining the 18th Annual General Meeting of the Corporation virtually/video conferencing is provided herewith in the mail.

By Order of the Board

S/d-

(Kamakshi Singh)

Company Secretary

Copy to : All members of the Company, Directors and Auditors of JKDFC.

निगम के प्रमुख अधिकारी:

निगम:

1. श्री गौहर आरिफ
महाप्रबंधक
2. श्री मुदासिर अहमद डार
मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. सुश्री कामाक्षी सिंह
कंपनी सचिव

लेखा परीक्षक:

1. मैसर्स मिश्रा साहू जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड
अकाउंटेंट वैधानिक लेखा परीक्षक
2. श्री पवन कुमार, कंपनी सचिव
सचिवीय लेखा परीक्षक
3. मैसर्स केआरए एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट
कर सलाहकार

PRINCIPAL OFFICERS OF THE

CORPORATION:

1. Shri Gowhar Arif
General Manager
2. Shri Mudasir Ahmad Dar
Chief Financial Officer
3. Ms. Kamakshi Singh
Company Secretary

AUDITORS:

1. M/s Mishra Sahu Jain & Associates,
Chartered Accountants Statutory Auditor
2. Shri Pawan Kumar, Company Secretary
-Secretarial Auditor
3. M/s KRA & Co., Chartered Accountants
-Tax Consultant

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

DIRECTORS' REPORT

सदस्यगण के लिए।

आपके निदेशकों को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

परिचय

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, इसकी स्थापना दिनांक 30.05.2005 को की गई थी और इसने अपना काम काज दिनांक 28.07.2005 से करना प्रारंभ किया। निगम की स्थापना भावी उद्यमियों को परेशानी मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर और अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कार्यरत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों औद्योगिक इकाइयों को अपने औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए जून, 2002 के अनुसरण में औद्योगिक पैकेज के तहत भारत सरकार के प्रोत्साहनों के वितरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। ऋण नीति को अधिसूचित करने और अन्य अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण देने की गतिविधि वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अन्य परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखने और बंधंकरहित प्रतिभूति को प्रशासित करने वाले जम्मू-कश्मीर भूमि कानूनों में संशोधन की अनुपलब्धता के कारण चार साल से अधिक समय तक सावधि ऋण देने पर रोक के बाद, जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य भूमि कानूनों में अपेक्षित संशोधन पारित करने के बाद 2015-16 में आवधिक ऋण शब्द फिर से शुरू किया गया था।

वित्तपोषण के दौरान अधिक से अधिक कार्यकलापों को निगम के मुख्य उद्देश्यों के दायरे में लाया गया, जिसमें यात्री के लिए पर्यटन उद्योग, कार्गो, छोटे सड़क परिवहन ऑपरेटर्स तथा औद्योगिक उद्यमियों, कार्गो परिवहन तथा उपकरण वित्त पोषण करने, निर्माण कम्पनियों, ठेकेदार तथा

To the members,

Your Directors have pleasure in presenting the 18th Annual Report together with the Audited Financial Statements and the Auditors Report thereon for the period ended 31st March, 2023.

Introduction

Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd is a Central Public Sector Enterprise under administrative control of DPIIT with its date of incorporation as 30.05.2005 and date of commencement of business as 28.07.2005. The Corporation was established with the prime objective of giving boost to the industrial sector of the erstwhile state of Jammu and Kashmir and now to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh by way of providing hassle free financial assistance to the prospective entrepreneurs in the shape of term loan and working capital term loan for setting up their industrial ventures and acting as a Nodal Agency for disbursement of the GOI incentives to the industrial units, both manufacturing & Service sector operating in the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh in pursuance of June, 2002 the Industrial Package for J&K and Ladakh. The lending activity was started in the year 2009-10 after notifying the Lending policy & seeking other requisite approvals. After a stop to term lending for a spell of over four years due to non-availability of amendment to J&K Land laws governing the mortgage of primary as well as collateral security for securing the loans due to Article 370 of Indian constitution & other operational hiccups, the term lending was again started in 2015-16 after J&K State Legislature passed the requisite amendment to the State land laws.

During the course of financing more & more activities were covered under the ambit of main objects of the Corporation which include Tourism Industry, Small Road Transport Operators for passenger & cargo transportation & Equipment Financing to Industrial Enterprises, Construction

समाधान केंद्र और छोटी तथा लघु जलविद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु वित्तपोषित प्रदान करना शामिल है। उत्पादों और सेवाओं आधार का विस्तार करने से भविष्य में निगम के आउटरीच और ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी। उपकरण वित्तपोषण तथा लघु सड़क परिवहन ऑपरेटर्स योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने का कार्य आरंभ किया गया है।

जेकेडीएफसी उस उद्देश्य को प्राप्त करने की राह पर है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और यह लगातार प्रगति कर रहा है और अपने कार्यों को निष्पादित कर रहा है। निगम की परिचालन आय वर्तमान या अगले वित्तीय वर्ष में सिद्धांत व्यवसाय मानदंड प्राप्त करने की उम्मीद है क्योंकि यह बढ़ती प्रवृत्ति पर है क्योंकि वसूली के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं जो हमारी बैलेंस शीट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है क्योंकि हमारी निवल संपत्ति 31.03.2023 को 166.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 170.45 करोड़ रुपये हो गई है।

यह उल्लेख करना सार्थक है कि जेकेडीएफसी सरकार द्वारा संचालित उन चुनिंदा गैर बैंकिंग गैर जमा वित्तीय निगमों में से एक है जो लाभ अर्जित कर रहे हैं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

बोर्ड ने पिछली कई बोर्ड बैठकों में परिचालन/ गतिविधियों के संभावित क्षेत्रों के विस्तार के तरीकों पर चर्चा की, जिन्हें जेकेडीएफसी के दायरे में शामिल किया जा सकता है। इसके आलोक में बोर्ड के समक्ष विभिन्न प्रस्ताव रखे गए और तदनुसार बोर्ड ने 31.03.2022 को नई दिल्ली में श्री अनुराग जैन, आईएएस, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित अपनी 42वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करके निगम का पोर्टफोलियो को निम्नलिखित क्षेत्रों में ऋण देने का कार्यक्षेत्र बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की:

1. विभिन्न योजनाओं के तहत समग्र कार्यशील पूंजी सावधि ऋण वित्तपोषण
2. स्कूलों और कॉलेजों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – “ऐजुकेशनल इन्सटिट्यूशन प्लस”
3. निजी अस्पतालों/क्लिनिकों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – “हॉस्पिटल प्लस”

उक्त उन्नत क्षेत्रों से भविष्य में और भी अधिक व्यवसाय उत्पन्न होने की आशा है।

निगम को डीपीआईआईटी से दिनांक 28.07.2020 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने जम्मू और

Companies, Contractors & Diagnostic centres & providing financial assistance for setting up of Mini & Small Hydro-power projects. This widening of product & services base has resulted in increase in outreach & loan portfolio of the Corporation. Lending under Equipment financing & Small Road Transport Operators scheme was also started.

JKDFC is on the way of attaining the objective for which it was setup and is progressing and performing its functions steadily. The operational income of the Corporation is expected to attain the Principle Business Criteria either in current or next financial year as the same is on an increasing trend as extensive efforts are being made for recoveries which is clearly reflected in our Balance Sheet as our net worth has increased from Rs 166.00 crores to Rs 170.45 crores as on 31.03.2023.

It is worthwhile to mention that JKDFC is amongst very few Govt run Non Banking Non Deposit Financial Corporations which are operating on profitable lines and are providing financial assistance to the entrepreneurs.

The Board in several previous Board meetings discussed the ways for expansion of potential areas of operations/ activities that could be included in the ambit of JKDFC. In light of this various proposals were placed before the Board and accordingly the Board in its 42nd Board Meeting held on 31.03.2022 at New Delhi under the Chairmanship of Sh Anurag Jain, IAS, Secretary, DPIIT, MoCI, GoI approved to widen the lending portfolio of the Corporation by providing additional credit facilities in the form of :

1. Composite Working Capital Term Loan Financing Under Various Schemes
2. JKDFC Loan Scheme For Schools & Colleges – “Educational Institutional Plus”
3. JKDFC Loan Scheme For Private Hospitals/ Clinics – “Hospital Plus”

This enhanced portfolio is expected to generate more business in the future as well.

The Corporation received a letter from DPIIT dated 28.07.2020 wherein they have stated that the Appointment Committee of the

कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती रशिम सूद और श्री सुनील कुमार बघेल की नियुक्ति को इस नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद, बोर्ड ने 23.09.2020 को परिपत्र के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके श्रीमती रशिम सूद और श्री सुनील कुमार बघेल को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया। बोर्ड द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित होने की तिथि 27.07.2023 तक (अर्थात् 28.07.2020 को डीपीआईआईटी द्वारा जारी उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की गणना) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो से गणना की जाएगी।

जहां तक इसकी नोडल एजेंसी की भूमिका का संबंध है, रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान जेकेडीएफसी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डीपीआईआईटी, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी इकाइयों को 2687.52 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

अब तक निगम ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभिन्न केंद्रीय सरकारी प्रोत्साहनों के तहत 61607.11 लाख रुपये की राशि वितरित की है।

प्रबंधन

31 मार्च, 2023 तक निगम के मामलों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था, जिसका संविधान यहां विस्तृत है:

- श्री अनुराग जैन, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन); निदेशक दिनांक 27.09.2021 से 20.04.2023 तक;
- श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन); 20.04.2023 से निदेशक;
- श्री राजेंद्र रत्नू, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – निदेशक 04-04-2019 से 09-02-2023 तक;

Cabinet (ACC) has approved the appointment of Smt. Rashim Sood and Shri. Sunil Kumar Baghel as Non Official Independent Directors on the board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited for a period of three (03) years w.e.f the date of notification of this appointment, or until further orders, whichever is earlier. Thereafter, the Board by passing the resolution by circulation on 23.09.2020 appointed Smt. Rashim Sood and Shri. Sunil Kumar Baghel as Non Official Independent Directors on the board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited for a period of three (03) years starting from the date the resolution for their appointment is passed by the Board till 27.07.2023 (i.e three years calculated from the date of notification of their appointment issued by DPIIT on 28.07.2020) or until further orders, whichever is earlier.

As regards its Nodal Agency role, during the year under report an amount of Rs 2687.52 lakh has been disbursed by JKDFC to the beneficiary units under various schemes of DPIIT, GOI in the UT of J&K & UT of Ladakh.

Till date Corporation has disbursed an amount of Rs 61607.11 lakh under various central Govt Incentive in the UT of J&K & UT of Ladakh.

Management

The affairs of the Corporation as on 31st March, 2023 were managed by Board of Directors, constitution whereof is detailed hereunder:

- Shri Anurag Jain, Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI – Chairman (Ex-officio); Director w.e.f 27.09.2021 till 20.04.2023;
- Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI – Chairman (Ex-officio); Director w.e.f 20.04.2023;
- Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI – Director w.e.f. 04-04-2019 till 09-02-2023;

- श्री बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – निदेशक 10-05-2023 से;
- श्री आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव (जेकेएल), गृह मंत्रालय, भारत सरकार – निदेशक 18-08-2022 से 19.01.2023 तक;
- श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे, संयुक्त सचिव (जेकेएल), गृह मंत्रालय, भारत सरकार – निदेशक 19.01.2023 से;
- श्री अटल डुल्लू, वित्तीय आयुक्त, वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार – निदेशक; 18.08.2021 से 04-05-2022 तक निदेशक के रूप में नियुक्त;
- श्री संतोष डी वैद्य, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार – निदेशक; 16.06.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्त;
- श्री रंजन प्रकाश ठाकुर, प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार – निदेशक; 01.03.2021 से 28.04.2022 तक निदेशक के रूप में नियुक्त;
- श्री विवेक भारद्वाज, वित्तीय आयुक्त, वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार एवं प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार-निदेशक; 28.04.2022 से 30.09.2022 तक निदेशक के रूप में नियुक्त;
- श्री प्रशांत गोयल, प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार – निदेशक; 02.10.2022 से 26.05.2023 तक निदेशक के रूप में नियुक्त;
- श्री विक्रमजीत सिंह, आयुक्त/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार –निदेशक; 26.05.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्त;
- श्री मनोज कुमार खेमू, निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम, भारतीय जीवन बीमा निगम – भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक; निदेशक 14.03.2022 से 30.05.2023 तक;
- श्री कुलदीप टिक्कू, निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल, भारतीय जीवन बीमा निगम – भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक; 06.06.2023 से निदेशक;
- Shri Balamurugan D., Joint Secretary, DPI-IT, Ministry of Commerce & Industries, GOI – Director w.e.f. 10-05-2023;
- Shri Ashutosh Agnihotri, Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, GOI – Director w.e.f. 18-08-2022 till 19.01.2023;
- Shri Prashant Sitaram Lokhande, Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, GOI – Director w.e.f. 19.01.2023;
- Shri Atal Dulloo, Financial Commissioner, Deptt. of Finance, Govt. of J&K-Director; appointed as Director w.e.f. 18.08.2021 till 04-05-2022;
- Sh. Santosh D Vaidya, Principal Secretary, Finance Department , Govt. of J&K-Director; appointed as Director w.e.f. 16.06.2023;
- Sh. Ranjan Prakash Thakur, Principal Secretary, Deptt. of Industry & Commerce, Govt. of J&K-Director; appointed as Director w.e.f. 01.03.2021 till 28.04.2022;
- Shri Vivek Bhardwaj, Financial Commissioner, Deptt. of Finance, Govt. of J&K & Administrative Secretary, Industries & Commerce Department, Govt. of J&K -Director; appointed as Director w.e.f. 28.04.2022 till 30.09.2022;
- Sh. Prashant Goyal, Principal Secretary, Deptt. of Industry & Commerce, Govt. of J&K-Director; appointed as Director w.e.f. 02.10.2022 till 26.05.2023;
- Sh. Vikramjit Singh, Commissioner/ Secretary, Deptt. of Industry & Commerce, Govt. of J&K-Director; appointed as Director w.e.f. 26.05.2023;
- Shri Manoj Kumar Kemmu, Director, Zonal Training Centre, Gurugram, Life Insurance Corporation of India - Director representing LIC of India; Director w.e.f. 14.03.2022 till 30.05.2023;
- Shri Kuldeep Tickoo, Director, Zonal Training Centre, Bhopal, Life Insurance Corporation of India - Director representing LIC of India; Director w.e.f. 06.06.2023;

- डॉ. जिविषा जोशी गंगोपाध्याय, उप सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार –; 22-03-2022 से प्रबंध निदेशक;
- श्री सागत बिस्वास, संभागीय आयुक्त और प्रशासनिक सचिव, आई एंड सी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 25.04.2022 से 05.07.2023 तक;
- श्री सुनील कुमार बघेल, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी- 23-09-2020 से 27.07.2023 तक;
- श्रीमती रशिम सूद, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी- 23-09-2020 से 27.07.2023 तक;
- Dr Jivisha Joshi Gangopadhyay, Deputy Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI –; Managing Director w.e.f. 22-03-2022;
- Shri Saugat Biswas, Divisional Commissioner & Administrative Secretary, I&C, UT of Ladakh w.e.f 25.04.2022 till 05.07.2023;
- Shri Sunil Kumar Baghel, Non –Official Independent Director, JKDFC- w.e.f 23-09-2020 till 27.07.2023;
- Smt. Rashim Sood, Non –Official Independent Director, JKDFC- w.e.f 23-09-2020 till 27.07.2023;

बोर्ड ने निगम के कामकाज में रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निवर्तमान निदेशकों द्वारा दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन और योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त की है।

मानव संसाधन

निगम ने सीमित कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करना जारी रखा, जिसमें एक सहायक महाप्रबंधक (पीएफ-कश्मीर) सहित तीन सहायक महाप्रबंधक शामिल थे, जिन्हें महाप्रबंधक, कंपनी सचिव और 4 संविदा कर्मचारियों के साथ 11 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रभार दिया गया था।

31 मार्च, 2023 को निगम की कुल कर्मचारियों की संख्या 19 थी।

निगम का प्रदर्शन

(i) ऋण देने की गतिविधि

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, रिपोर्ट के तहत वर्ष (2022-23) के दौरान 1151.85 लाख रुपये की राशि के सावधि ऋण मामलों को मंजूरी दी गई, जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में यह राशि 1524.18 लाख रुपये थी।

वर्ष 2022-23 के दौरान 648.39 लाख रुपये का वितरण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में यह 1442.19 लाख रुपये था। 31 मार्च, 2023 को कुल स्वीकृतियां क्रमशः 10064.18 लाख रुपये और वितरण 7700.97 लाख रुपये थीं, जिसका विस्तृत विवरण यहां दिया गया है:-

The Board places on record its appreciation for the valuable guidance & contribution made by outgoing Directors during the year under report in the functioning of the Corporation.

Human Resource

The Corporation continued to function with limited staff strength which consisted of three Assistant General Managers including one Assistant General Manager (PF- Kashmir) given the charge of General Manager, Company Secretary and 11 other officers and officials along with 4 contractual employees.

The total staff strength of the Corporation as on 31st March, 2023 stood at 19.

Performance of the Corporation

(i) Lending Activity

During the year ending 31st March, 2023, term Lending cases for an amount of Rs. 1151.85 Lacs were sanctioned during the year under report (2022-23) as compared to Rs. 1524.18 Lacs in the previous year 2021-22.

Disbursement to the tune of Rs. 648.39 Lacs have been made during the year 2022-23 as compared to Rs. 1442.19 lacs in the previous year 2021-22. The aggregate sanctions as on 31st March, 2023 stood at Rs. 10064.18 Lacs & the disbursement of Rs. 7700.97 Lacs respectively, detailed break up whereof is given hereunder:-

(लाख रूपये में) (Rs. in lakh)

31.03.2023 तक स्वीकृतियाँ / संवितरण / Sanctions / Disbursements as on 31.03.2023							
क्र.स. S.n.	विवरण Particulars	31.03.2022 तक Up to 31.03.2022		2022-2023 के दौरान During 2022-2023		31.03.23 को संचयी Cumulative as on 31.03.23	
		स्वीकृत Sanction	संवितरण Disbursement	स्वीकृत Sanction	संवितरण Disbursement	स्वीकृत Sanction	संवितरण Disbursement
1	औद्योगिक क्षेत्र Industrial Sector	2322.89	1386.50	178.00	263.35	2500.89	1649.85
2	पर्यटन Tourism	1977.44	1504.02	525.00	0.00	2502.44	1504.02
3	उपकरण वित्तपोषण Equipment Financing	804.57	766.10	41.80	42.52	846.37	808.62
4	परिवहन (एकआरटाओ) Transport (SRTO)	3807.43	3395.96	407.05	342.52	4214.48	3738.48
	कुल TOTAL	8912.33	7052.58	1151.85	648.39	10064.18	7700.97

अधिकारियों द्वारा संबंधित जिला उद्योग केंद्रों और औद्योगिक संपदा आदि के व्यक्तिगत दौरे के अलावा हमारी योजनाओं का नियमित रूप से व्यापक प्रचार किया जा रहा है। इससे निगम को ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

निगम ने हाल ही में निम्नलिखित के रूप में अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करके निगम के ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार किया है:

1. विभिन्न योजनाओं के तहत समग्र कार्यशील पूंजी सावधि ऋण वित्तपोषण
2. स्कूलों और कॉलेजों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – “एजेकुशनल इन्सटीट्यूशन प्लस”
3. निजी अस्पतालों/क्लिनिकों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – “हॉस्पिटल प्लस”

निगम के इस उन्नत ऋण पोर्टफोलियो से भविष्य में भी अधिक व्यवसाय उत्पन्न होने की आशा है।

The Corporation is making its best efforts in order to grasp more and more lending to the budding and enthusiastic entrepreneurs, in this connection wide publicity is being given of our schemes regularly besides personal visits of our officers to respective District Industries Centres and Industrial Estates etc are made constantly. Due to this the Corporation is receiving good response for availing credit facilities.

The corporation has recently widened the lending portfolio of the Corporation by providing additional credit facilities in the form of:

1. Composite Working Capital Term Loan Financing Under Various Schemes
2. JKDFC Loan Scheme For Schools & Colleges – “Educational Institutional Plus”
3. JKDFC Loan Scheme For Private Hospitals/ Clinics – “Hospital Plus”

This enhanced lending portfolio of the Corporation is expected to generate more business in the future as well.

ii) नोडल एजेंसी

जहां तक इसकी नोडल एजेंसी की भूमिका का संबंध है, रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान जेकेडीएफसी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डीपीआईआईटी, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी इकाइयों को 2687.52 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है: -

क्र. सं.	योजना का नाम	दावों की संख्या	रकम लाखों में
1	प्रोत्साहन I और II का विशेष पैकेज	88	1161.18
2	औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस)	29	1438.34
	कुल	117	2687.52

अब तक निगम ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभिन्न केंद्रीय सरकारी प्रोत्साहनों के तहत 61607.11 लाख रुपये की राशि वितरित की है, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

क्र. सं.	योजना का नाम	दावों की संख्या	रकम लाखों में
1	प्रोत्साहन I और II का विशेष पैकेज	2930	53100.58
2	परिवहन सब्सिडी योजना/एफएसएस 2013	76	3483.96
3	औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस)	71	5022.57
	कुल	3077	61607.11

ii) कार्य परिणाम

निगम ने 2022-23 के दौरान 1125.87 लाख रुपये की आय अर्जित की, जिसमें सावधि जमा पर ब्याज के रूप में 602.33 लाख रुपये और परिचालन से आय जैसे ऋण और अग्रिमों पर ब्याज, अग्रिम शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और वर्ष के दौरान जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर लिया जाने वाला शुल्क के रूप में 523.54 लाख रुपये शामिल हैं। वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ 459.77 लाख रुपये था, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

सकल आय	रु. 1125.87 लाख
मूल्यहास असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ	रु. 674.42 लाख

ii) Nodal Agency

As regards its Nodal Agency role, during the year under report an amount of Rs 2687.52 lakh has been disbursed by JKDFC to the beneficiary units under various schemes of DPIIT, GOI in the UT of J&K & UT of Ladakh as per the detail given below:-

S. No	Name of Scheme	No of claims	Amount (Rs. in lakhs)
1	Special Package of Incentive I& II	88	1161.18
2	Industrial Development Scheme (IDS) 2017	29	1438.34
	Total	117	2687.52

Till date Corporation has disbursed an amount of Rs 61607.11 lakh under various central Govt Incentive in the UT of J&K & UT of Ladakh as per detail given below:

S. No	Name of Scheme	No of claims	Amount (Rs. in lakhs)
1	Special Package of Incentive I& II	2930	53100.58
2	Transport Subsidy Scheme/ FSS 2013	76	3483.96
3	Industrial Development Scheme (IDS) 2017	71	5022.57
	Total	3077	61607.11

iii) Working Results

The Corporation earned an income of Rs. 1125.87 lakh during 2022-23 which included Rs. 602.33 lakh as interest on term deposits and Rs.523.54 lakh as income from operations viz. interest on loan & advances, upfront fee, processing fee and fee charged by preparation of Detailed Project Reports (DPR) issued during the year. The profit after tax for the year was Rs. 459.77 lakh as enumerated hereunder:-

Gross Income	Rs. 1125.87 lakh
Profit before depreciation extraordinary items & tax	Rs. 674.42 lakh

मूल्यहास	रु. 4.97 लाख	Depreciation	Rs. 4.97 lakh
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रु. 669.45 लाख	Profit before tax (PBT)	Rs. 669.45 lakh
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	रु. 459.77 लाख	Profit after Tax (PAT)	Rs. 459.77 lakh

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, 23-09-2020 को तीन निदेशकों वाली बोर्ड की एक ऑडिट समिति का विधिवत गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

- (i) अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रशिम सूद (स्वतंत्र निदेशक);
- (ii) श्री सुनील कुमार बघेल (स्वतंत्र निदेशक) सदस्य के रूप में और;
- (iii) निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम के नामित व्यक्ति) सदस्य के रूप में

Audit Committee

In terms of Section 177 of the Companies Act, 2013, an Audit Committee of the Board comprising of three directors was duly constituted on 23-09-2020 comprising of the following Directors:

- (i) Smt. Rashim Sood (Independent Director) as Chairperson;
- (ii) Shri Sunil Kumar Baghel (Independent Director) as Member and;
- (iii) Director, nominee of LIC of India as Member

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें

- (1) प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा—
 - (i) कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
 - (ii) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
 - (iii) वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;
 - (iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;
 - (v) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच;
 - (vi) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;
 - (vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
 - (viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
- (2) ऑडिट समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, ऑडिट के दायरे, ऑडिटर्स की टिप्पणियों और वित्तीय विवरण की समीक्षा सहित ऑडिटर्स की टिप्पणियां मांग सकती है और आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी के प्रबंधन से किसी भी संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा कर सकती है।
- (3) ऑडिट समिति के पास उप-धारा (4) में निर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा संदर्भित वस्तुओं के संबंध में किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए उसे बाहरी स्रोतों से पेशेवर सलाह प्राप्त करने की शक्ति होगी एवं कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी को प्राप्त करने की पूर्ण शक्ति होगी।
- (4) किसी कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने वाली बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

THE TERMS OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE AS PER SECTION 177 OF THE COMPANIES ACT, 2013

- (1) Every Audit Committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the Board which shall, inter alia, include—
 - (i) the recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;
 - (ii) review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
 - (iii) examination of the financial statement and the auditors' report thereon;
 - (iv) approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;
 - (v) scrutiny of inter-corporate loans and investments;
 - (vi) valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;
 - (vii) evaluation of internal financial controls and risk management systems;
 - (viii) monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.
- (2) The Audit Committee may call for the comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit, including the observations of the auditors and review of financial statement before their submission to the Board and may also discuss any related issues with the internal and statutory auditors and the management of the company.
- (3) The Audit Committee shall have authority to investigate into any matter in relation to the items specified in sub-section (4) or referred to it by the Board and for this purpose shall have power to obtain professional advice from external sources and have full access to information contained in the records of the company.
- (4) The auditors of a company and the key managerial personnel shall have a right to be heard in the meetings of the Audit Committee when it considers the auditor's report but shall not have the right to vote.

- (5) धारा 134की उप-धारा (3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट एक लेखापरीक्षा समिति की संरचना का खुलासा करेगी और जब बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करेगा तब उसे कारणों सहित ऐसी रिपोर्ट में खुलासा किया जाएगा।
- (6) निदेशकों और कर्मचारियों के लिए उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक सतर्क तंत्र और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा और उचित या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का प्रावधान करेगा। बशर्ते कि ऐसे तंत्र की स्थापना का विवरण कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, और बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।
- (5) The Board's report under sub-section (3) of section 134 shall disclose the composition of an Audit Committee and where the Board had not accepted any recommendation of the Audit Committee, the same shall be disclosed in such report along with the reasons thereof.
- (6) A vigil mechanism for the directors and employees to report their genuine concerns or grievances and shall provide for adequate safeguards against victimization of persons who use such mechanism and make provision for direct access to the chairperson of the Audit Committee in appropriate or exceptional cases. Provided that the details of establishment of such mechanism shall be disclosed by the company on its website, if any, and in the Board's report.

निदेशकों के दायित्व संबंधी वक्तव्य

अपनी पूरी जानकारी सत्य और विश्वास के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी और उनके स्पष्टीकरण के अनुसार आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की शर्तों के अनुसार निम्न वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं:-

- 1) कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में उपयुक्त लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और साथ ही भौतिक विचलनों, यदि कोई हों, उसके समुचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;
- 2) कि उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उनको युक्ति संगत रूप से लागू किया गया है तथा जो निर्णय तथा अनुमान युक्ति संगत पाए गए उनको अपनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्य की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की एक वास्तविक और उचित समीक्षा की जा सके;
- 3) कि कंपनी की संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा धोखाधड़ी और अन्य की रोकथाम का समाधान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन संबंधी अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

Directors Responsibility Statement

To the best of their knowledge and belief and according to the information and explanations furnished to them, your Directors make the following statement in terms of Section 134(5) of the Companies Act, 2013.

- 1) that in the preparation of Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2023, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
- 2) that appropriate accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates that are reasonable and prudent have been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
- 3) that proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing fraud and other irregularities;

- 4) कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक लेखा को संबंधित आधार पर तैयार किया गया है; और
- 5) कि सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली बनाई गई है और ऐसी व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से चल रही है;

सार्वजनिक जमा राशियां, संबंधित पार्टी के अनुबंध और निवेश

समीक्षाधीन अवधि में निगम ने सार्वजनिक या अपने कर्मियों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या करार संबंधित पक्ष से नहीं किया गया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) के अधीन प्रकट की जाने वाली सूचना शून्य है। कंपनी ने वर्ष भर कोई ऋण या कोई गारंटी नहीं दी और न ही कोई निवेश किया। निवेश अथवा ऋण देने अथवा किसी व्यक्ति को गारंटी देने संबंधी सूचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत शून्य है।

बोर्ड समितियाँ

निगम ने 23-09-2020 को निम्नलिखित निदेशकों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा समिति का गठन किया:

- (i) श्रीमती रशिम सूद (स्वतंत्र निदेशक) अध्यक्ष के रूप में;
- (ii) श्री सुनील कुमार बघेल (स्वतंत्र निदेशक) सदस्य के रूप में और;
- (iii) श्री मनोज कुमार खेमू (निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम के नामित) सदस्य के रूप में

इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन 22.02.2021 को किया गया था। बोर्ड की सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. आयुक्त/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार एवं निदेशक, जेकेडीएफसी (सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में);
2. प्रबंध निदेशक, जेकेडीएफसी (सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में)
3. श्रीमती रशिम सूद, स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी (सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में) और

- 4) that the Annual Accounts for the period ended 31st March, 2023 have been prepared on a going concern basis; and
- 5) that proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws have been devised and such systems are adequate and are operating effectively.

Public Deposits, Related Party Contracts and Investments

The Corporation has not accepted any deposits from the public or its employees during the year under review. No contract or arrangement was entered into with a related party during the year so information to be disclosed under Section 188(1) of the Companies Act 2013 is Nil. The information required under section 186 of the Companies Act, 2013 making of investment or giving of loan or providing guarantee to any person is Nil.

Board Committees

The Corporation constituted the Audit Committee on 23-09-2020 comprising of the following Directors:

- (i) Smt. Rashim Sood (Independent Director) as Chairperson;
- (ii) Shri Sunil Kumar Baghel (Independent Director) as Member and;
- (iii) Shri Manoj Kumar Kemmu (Director, nominee of LIC of India) as Member

Similarly, the Corporate Social Responsibility Committee was constituted on 22.02.2021 for discharging the functions specified in the Companies Act, 2013. The CSR committee of the Board consist of the following Directors:

1. Commissioner/ Secretary, Industries & Commerce Department, Govt. of Jammu & Kashmir & Director, JKDFC (as Chairman of CSR Committee);
2. Managing Director, JKDFC (as member of CSR Committee)
3. Smt. Rashim Sood, Independent Director, JKDFC (as member of CSR Committee) &

4. डॉ. सुनील कुमार बघेल, स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी (सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में)।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठकें 18.08.2022, 29.09.2022, 25.01.2023 और 27.03.2023 को आयोजित की गईं।

कर्मचारियों के विवरण के बारे में विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम के किसी भी कर्मचारी को पूरे वर्ष नियोजित होने पर साठ लाख रुपये या उससे अधिक या वर्ष के एक भाग के लिए नियोजित होने पर प्रति माह पांच लाख रुपये या उससे अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के तहत आने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी शून्य है।

सीएसआर नीति और सीएसआर पर व्यय

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया। बोर्ड की सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. आयुक्त/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, एवं निदेशक, जेकेडीएफसी (सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में);
2. प्रबंध निदेशक, जेकेडीएफसी (सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में)
3. श्रीमती रशिम सूद, स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी (सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में) और
4. डॉ. सुनील कुमार बघेल, स्वतंत्र निदेशक, जेकेडीएफसी (सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में)।

सीएसआर समिति ने 09.12.2021 को आयोजित अपनी पहली बैठक में निदेशक मंडल को निम्नलिखित सीएसआर नीति का प्रस्ताव दिया, जिसे 23.12.2021 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया। तदनुसार निगम द्वारा अपनाई गई सीएसआर नीति इस प्रकार है:

4. Dr. Sunil Kumar Baghel, Independent Director, JKDFC (as member of CSR Committee).

Number of meetings of the Board

Four meetings of the Board of Directors were held during the year 2022-23. Board meetings were held on 18.08.2022, 29.09.2022, 25.01.2023 and 27.03.2023.

Statement about particulars of employees

None of the employees of the Corporation was in receipt of remunerations of Rupees sixty lakh or more employed throughout the year or Rupees five lakh or more per month if employed for a part of the year during the period under review. As such the information regarding employees covered under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is Nil.

CSR Policy & Expenditure on CSR

The Corporation constituted the Corporate Social Responsibility Committee for discharging the functions specified in the Companies Act, 2013. The CSR committee of the Board consist of the following Directors:

1. Commissioner/ Secretary, Industries & Commerce Department, Govt. of Jammu & Kashmir & Director, JKDFC (as Chairman of CSR Committee);
2. Managing Director, JKDFC (as member of CSR Committee)
3. Smt. Rashim Sood, Independent Director, JKDFC (as member of CSR Committee) &
4. Dr. Sunil Kumar Baghel, Independent Director, JKDFC (as member of CSR Committee).

The CSR committee in its 01st meeting held on 09.12.2021 proposed the following CSR Policy to the Board of Directors which was duly approved by the Board of Directors in their meeting held on 23.12.2021. Accordingly CSR Policy adopted by the Corporation is as under:

सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड की कॉर्पोरेट के लिए

1 परिचय

1.1. जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम का सिद्धांत

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, तथा सामान्य मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए समान की बेहतरी तथा पर्यावरण शामिल है लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के साथ तथा जिम्मेदारी और निरंतरता के साथ कार्य कर रहा है।

1.2. भारत में सी.एस.आर

सीएसआर क्रियाकलापों में कॉर्पोरेट निकायों की संलग्नता भारत में कोई नई संकल्पना नहीं है। प्रमुख औद्योगिक घराने बहुत पहले से सामाजिक विकास क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 में इसे कानूनी दायरे में लाया गया है। यह अर्हक कंपनियों को प्रभावी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति बनाने और बोर्ड को उसकी सिफारिश करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति बनाने का अधिदेश देता है जो कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को इंगित करेगी, ऐसे क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करेगी तथा समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करेगी। इसके अलावा, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (इसके बाद इसे 'सीएसआर नियम' कहा जाएगा) अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीएसआर क्रियाकलाप चलाने के लिए रूपरेखा और पद्धतियों को भी निर्धारित करती है।

2. उद्देश्य और कार्य क्षेत्र

2.1. उद्देश्य

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (इसके बाद इसे 'कंपनी' कहा जाएगा) के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है ताकि पर्यावरण और समाज के प्रति कंपनी की रुचि के अनुरूप सीएसआर को एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बनाया जा सके जो कारगर, प्रभावी और सतत विकास कार्यक्रमों के जरिए समाज में सकारात्मक योगदान पर ध्यान केंद्रित करता है।

Corporate Social Responsibility (CSR) Policy

For Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited

1. Introduction

1.1. Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Philosophy

Our commitments towards **Corporate Social Responsibility** include but not limited to, promotion of education and healthcare, energy and climate change, and betterment of the society through respect for universal human rights and the environment, acting with integrity and accountability and operating responsibly and sustainably.

1.2. CSR in India

Corporate bodies' involvement in CSR activities is not a new concept in India. Industrial majors are engaged in social development activities since long back. However, the **Companies Act, 2013** has brought it under the legal purview. It mandates qualifying companies to constitute Corporate Social Responsibility Committee to effectively formulate and recommend to the Board a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Company, recommend the amount of expenditure to be incurred on such activities and monitor CSR Policy of the Company from time to time. Further the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as "the CSR Rules") lay down the framework and modalities for carrying out CSR activities which are specified in Schedule VII of the Act.

2. Objective and Scope

2.1. Objective

The main objective of the CSR Policy is to lay down guidelines for **Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited** (hereinafter referred to as 'the Company') to make CSR as one of the key focus areas to adhere to Company's interest in environment and society that focuses on making a positive contribution to society through effective impact and sustainable development programs.

यह नीति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को कवर करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे समय-समय पर संशोधित अधिनियम की अनुसूची-VII के अनुरूप हैं जैसा कि नीचे बताया गया है। इसमें वह रणनीति शामिल है जो भविष्य की सीएसआर गतिविधियों के लिए योजनाओं को परिभाषित करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII:

वे गतिविधियाँ जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों में शामिल किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं:—

- (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, "निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना" और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान भी शामिल है और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना।
- (ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं शामिल हैं।
- (iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनार्यों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना।
- (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना इसमें गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान भी शामिल है।
- (v) इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास करवाना;
- (vi) सशस्त्र बलों के सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक

This Policy covers the CSR activities to be undertaken by the Company and ensuring that they are in line with Schedule VII of the Act as amended from time to time **as detailed under**. It covers the strategy that defines plans for future CSR activities.

SCHEDULE VII of the Companies Act, 2013:

Activities which may be included by companies in their Corporate Social Responsibility Policies Activities relating to:—

- (i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition, "promoting health care including preventive health care" and sanitation including contribution to the Swachh Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water.
- (ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.
- (iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups.
- (iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga.
- (v) protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional art and handicrafts;
- (vi) measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents, Central Armed Police Forces (CAPF)

बलों (सीपीएमएफ) के सैनिकों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में योगदान। सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए;

(ix) (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान; और

(ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योगदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); फार्मास्यूटिकल्स विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान की परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

(ग) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ

(xi) झुग्गी क्षेत्र का विकास।

स्पष्टीकरण— इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'स्लम क्षेत्र' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी

and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;

(vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and olympic sports

(viii) contribution to the prime minister's national relief fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the central govt. for socio economic development and relief and welfare of the schedule caste, tribes, other backward classes, minorities and women;

(ix) (a) Contribution to incubators or research and development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organisation (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).

(x) rural development projects

(xi) slum area development.

Explanation.- For the purposes of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State

भी कानून के तहत घोषित कोई भी क्षेत्र होगा।

(xii) आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

2.2. कार्यक्षेत्र और कवरेज

कंपनी की सीएसआर गतिविधियों में समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII द्वारा निर्धारित किसी एक या सभी क्षेत्रों/गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित होगी। इसके अलावा, कंपनी समय-समय पर अनुसूची VII के संदर्भ में क्षेत्रों/गतिविधियों की समीक्षा करेगी और कंपनी की सीएसआर नीति के उपरोक्त क्षेत्रों/क्रियाकलापों में जोड़ने/हटाने/स्पष्टीकरण का कार्य करेगी।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

3.1. गठन

अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति** का गठन करेगा। सीएसआर के सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी जिसमें कम से कम तीन या अधिक निदेशक शामिल होने आवश्यक हैं। जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। तदनुसार, जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा गठित सीएसआर समिति का गठन इस प्रकार है:

Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

(xii) disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

2.2. Scope & Coverage

The CSR activities of the Company shall include, but shall be limited to any or all of the sectors/activities as may be prescribed by Schedule VII of the Companies Act, 2013 amended from time to time. Further, the Company shall review the sectors/activities with reference to Schedule VII from time to time and make additions/ deletions/ clarifications to the above sectors/activities of the Company's CSR Policy.

3. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

3.1. Constitution

Pursuant to the provisions of Section 135 of the Act, the Board of Directors shall constitute the **Corporate Social Responsibility (CSR) Committee**. The Members of CSR shall be appointed by the Board of Directors of the Company which must consist of at least three or more Directors out of which at least one director shall be an independent director. Accordingly, the constitution of CSR Committee formed by **Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited** is as follows:

क्र.सं. S. No.	सदस्य का नाम/ Name of the member	समिति में पदनाम Designation in committee	जेकेडीएफसी में पदनाम Designation in JKDFC
1	आयुक्त/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार Commissioner/ Secretary, Industries & Commerce Department, Govt. of Jammu & Kashmir.	सीएसआर समिति के अध्यक्ष Chairman of CSR Committee	निदेशक Director
2	प्रबंध निदेशक, जेकेडीएफसी Managing Director, JKDFC.	सीएसआर समिति के सदस्य Member of CSR Committee	प्रबंध निदेशक Managing Director
3	श्रीमती रशिम सूद Smt. Rashim Sood.	सीएसआर समिति के सदस्य Member of CSR Committee	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
4.	डॉ. सुनील कुमार बघेल Dr. Sunil Kumar Baghel.	सीएसआर समिति के सदस्य Member of CSR Committee	स्वतंत्र निदेशक Independent Director

3.2. समिति के कार्य

सीएसआर के संबंध में कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करना और कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (3) के तहत नीचे दिए गए कार्यों को पूरा करना:

- (a) अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी;
- (b) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; और
- (c) समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना

सीएसआर समिति के उपर्युक्त कार्यों के अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (3) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यथा निर्देशित अतिरिक्त कार्य (कार्यों) को भी पूरा करेगी।

3.3. समिति की बैठकें

समिति के सुचारु कामकाज के लिए, सदस्य जब भी आवश्यक हो/बोर्ड की नीति/निर्देशों के अनुसार बैठक करेंगे ताकि मामलों पर चर्चा की जा सके और ऐसे निर्णय लिए जा सकें जो आवश्यक हों;

समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से, जो सुविधाजनक हो, बैठक में भाग ले सकते हैं।

4. सीएसआर खर्च

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कंपनी की निर्धारित सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करेगी। इस उद्देश्य के लिए एक वर्ष के लिए वार्षिक शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार की जाएगी।

4.2. सीएसआर का पैसा खर्च कर पाने में विफल रहना

यदि कंपनी किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में अपेक्षित राशि खर्च करने में विफल रहती है तो समिति का यह कर्तव्य है कि वह निदेशक मंडल को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करे

3.2. Functions of Committee

To effectively implement the objectives of the Company with respect to CSR and to carry out the function as laid down under sub section (3) of section 135 of the Companies Act as enumerated below:

- (a) formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company in areas or subject, specified in Schedule VII;
- (b) recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a); and
- (c) monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the company from time to time

In addition to the above functions of the CSR Committee as provided under sub section (3) of section 135 of the Companies Act, 2013, the CSR committee shall perform additional function(s) as directed by the Board of Directors of the Company in order to carry out the CSR objectives of the company smoothly.

3.3. Meetings of the Committee

For smooth functioning of the Committee, the members shall meet as and when necessary/as prescribed by the policy/directions of the Board in order to discuss matters and to take such decisions as may be necessary;

The Members of the Committee may participate in the meeting either in person or through video conferencing or other audio visual means as may be convenient.

4. CSR Spend

The Company shall spend the amount as prescribed u/s 135 of the Companies Act, 2013 towards the prescribed CSR activities of the Company. Annual Net Profit for this purpose for a year to be calculated as per Section 198 of the Companies Act, 2013.

4.2. Failure to spend the CSR Money

If the Company fails to spend the required amount in a particular financial year, it is the duty of the Committee to submit a report in writing to

जिसमें राशि खर्च न करने का कारण बताया जाए जिसे निदेशक मंडल द्वारा उस वर्ष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में संसूचित किया जाएगा और जब तक कि अव्ययित राशि अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के संदर्भ में किसी जारी परियोजना से संबंधित नहीं है, ऐसी अव्ययित राशि अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर सातवीं अनुसूची में उल्लिखित निधि में हस्तांतरित की जाए।

5. सीएसआर पहले

अधिनियम की अनुसूची VII और सीएसआर नियमों के अनुसार, कंपनी प्रत्येक वर्ष के लिए सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित सीएसआर गतिविधियां शुरू करेगी।

6. सीएसआर नीति की रिपोर्टिंग और प्रकाशन

सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर नीति की सामग्री निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी और उसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

7. निगरानी तंत्र

निगम का प्रबंधन सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करेगा। जरूरत पड़ने पर प्रबंधन इस संबंध में निगम के कर्मचारियों की एक टीम गठित कर सकता है।

8. नीति समीक्षा एवं भावी संशोधन

निदेशक मंडल सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर नीति को संशोधित/समीक्षा कर सकता है या इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों में किए गए संशोधनों के अनुरूप ला सकता है।

निगम के निदेशक मंडल ने 27-03-2023 को आयोजित अपनी 46वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में 13,55,756.00 रुपये (तेरह लाख पचपन हजार सात सौ छप्पन रुपये मात्र) का योगदान योगदान कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्प के तहत सीएसआर अंशदान प्राप्त करने के लिए पात्र अधिसूचित सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत) सीएसआर गतिविधि के रूप में, भारत सरकार और निगम की सीएसआर नीति के पूर्वावलोकन के अंतर्गत

the Board of Directors specifying the reasons for not spending the amount, which in turn shall be reported by the Board of Directors in their Annual Report pertaining to that particular Financial Year and unless unspent amount relates to any ongoing project referred to its sub-section (6) of Section 135 of the Act transfer such unspent amount to a Fund specified in Schedule VII within a period of six months of the expiry of the Financial Year in accordance with the provisions of Sub-section (5) of Section 135 of the Act.

5. CSR Initiatives

Pursuant to Schedule VII of the Act and the CSR Rules, the Company shall undertake CSR activities as recommended by the CSR Committee for each year.

6. Reporting and publication of CSR policy

As per the CSR Rules, the contents of the CSR Policy shall be included in the Directors' Report and the same shall be displayed on the Company's website.

7. Monitoring Mechanism

The Management of the Corporation shall ensure effective implementation and monitoring of the projects approved by the Board of Directors of the Corporation as recommended by the CSR committee. The Management may, if needed, constitute a team of employees of the Corporation in this regard.

8. Policy review and future amendment

The Board of Directors may revise/ amend the CSR Policy based on the recommendations of the CSR committee or to bring the same in line with the amendments made in the relevant provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

The Board of Directors of the Corporation by passing resolution in its 46th Board meeting held on 27-03-2023 resolved to contribute an amount of Rs. 13,55,756.00 (Rupees Thirteen Lacs fifty five thousand seven hundred fifty six only) as Corporate Social Responsibility (CSR) contribution u/s 135 of the Companies Act, 2013 in respect of the Financial years 2022-23 to Sulabh International Social Service Organisation being eligible as CSR activity under Schedule VII of the Companies Act, 2013 as notified by the Ministry of Corporate Affairs, GoI and within preview of

करने का संकल्प लिया।

इस धनराशि का उपयोग श्रीनगर में 2 (दो) पोर्टेबल टॉयलेट इकाइयों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग और यार्ड नंबर 2 नरवाल, जम्मू में 10 सीटों वाले सार्वजनिक शौचालय परिसर के नवीनीकरण/उन्नयन के लिए किया जाएगा।

सीएसआर बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान सीएसआर समिति की 01 बैठक का आयोजन किया गया।

वर्ष 2022-2023 के लिए सीएसआर समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 27 मार्च, 2023 को किया गया।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के खातों पर सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

1. **निदेशक मंडल की एक बैठक (18.08.2022 को आयोजित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के तहत वैधानिक आवश्यकता के बजाय 120 दिनों के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी, जिसमें प्रावधान था कि कंपनी की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होगा।**

निगम के बोर्ड में अध्यक्ष और कुछ निदेशकों की व्यस्तता के कारण दिनांक 18.08.2022 को केवल एक बोर्ड बैठक हुई। पिछली 42वीं बोर्ड बैठक जो 31.03.2022 को थी, के 120 दिनों के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी बोर्ड बैठकें कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की गईं।

2. **हालांकि वर्ष के दौरान एनपीए मामलों से अच्छी रिकवरी हुई है और कंपनी की परिचालन आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में एनपीए का प्रतिशत बढ़ा है।**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 31.03.2022 को समाप्त वर्ष में एनपीए से 2.80 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इस एनपीए वसूली का बड़ा हिस्सा लद्दाख डिवीजन से है, जो एनपीए का बड़ा हिस्सा है। बोर्ड ने 24.07.2023 को आयोजित अपनी 47वीं बोर्ड बैठक में एनपीए पुनर्निर्धारण को मंजूरी दे दी, जिससे आने वाले समय में निगम के एनपीए में कमी आएगी, जिससे चालू वित्त वर्ष में निगम की लाभप्रदता में और वृद्धि होगी। एनपीए पुनर्निर्धारण

CSR Policy of the Corporation.

The money is utilized for Supply, Installation & Commissioning of 2 (Two) Nos. Portable Toilet units at Srinagar & renovation/up gradation of 10 seated Public Toilet Complex at Yard No. 2 Narwal, Jammu.

CSR Meetings

The number of CSR Committee meeting held during the financial year 2022-2023 was one.

The 01st CSR Committee meeting for the financial year 2022-2023 was held on 27th March, 2023.

Auditors Report

The Auditors' Report to the Members on the Accounts of the Corporation for the financial year ended on 31st March, 2023 is attached to this Report.

In connection with the Auditors observations in the report, the explanation is as under:

1. **One meeting of Board of Directors (held on 18.08.2022) was held after a gap of 120 days instead of statutory requirement u/s 173 of the Companies Act, 2013 providing that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board.**

Due to the pre-occupation of the Chairman & some of the Directors on Board of the Corporation, only one Board Meeting dated 18.08. 2022 could not be held within 120 days of the previous 42nd Board meeting which was on 31.03.2022. Thereafter all the Board meetings for the FY 2022-23 were held in compliance of the provisions of the Companies Act.

2. **Although there has been good recovery from NPA cases during the year and substantial increase in operational income of the company. However percentage of NPA has increased compared to last year.**

There has been a recovery of an amount of Rs. 2.80 Cr from NPA ending 31.03.2022 during the FY 2022-23. The major portion of this NPA recovery is from Ladakh division which constitute major portion of NPAs. The Board in its 47th Board meeting held on 24.07.2023 approved NPA rescheduling which will reduce the NPAs of the Corporation in the coming period thereby further

पहले ही शुरू किया जा चुका है।

इसके अलावा निगम लगातार निरीक्षण/समय पर अनुस्मारक/वसूली सूट आदि के माध्यम से एनपीए वसूली का सख्ती से पालन कर रहा है।

3. कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग परिचालन सॉफ्टवेयर के अभाव में, कंपनी के पास एमसीएलआर दर में बदलाव और सभी ऋणों और अग्रिमों पर उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। हालाँकि कंपनी ने वर्ष के दौरान समय-समय पर समीक्षा की है और आवश्यक कार्यान्वयन किया है, लेकिन चूंकि यह समीक्षा पूरी तरह से मैनुअल रूप से की गई है, इसलिए त्रुटि की संभावना हो सकती है।

कम्प्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर की खरीद की प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए निगम ने एनईडीएफआई के साथ कई बैठकें की हैं, जिनके पास कम्प्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर की हमारी आवश्यकता के समान है क्योंकि दोनों संगठन एक ही व्यवसाय में हैं।

एनईडीएफआई ने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता के साथ हमारी विभिन्न बैठकों का आयोजन भी करवाया। इसके अलावा निगम ने हमारी अनुकूलित आवश्यकताओं पर डेमो देने के लिए कुछ अन्य सॉफ्टवेयर प्रदान करने वाली एजेंसियों के साथ विभिन्न बैठकें भी कीं।

अब निगम अनुकूलित सॉफ्टवेयर के लिए आरएफपी जारी करने के प्रक्रियाधीन है।

4. हालाँकि कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में एक नीति तैयार की है, लेकिन कंपनी ने अभी भी अपने कर्मचारियों को वित्तीय आतंकवाद से निपटने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की है।

निगम ने 25.01.2023 को आयोजित अपनी 45वीं बोर्ड बैठक में अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) मानदंडों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) उपायों पर नीति अपनाई है। उक्त नीति में कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए उचित प्रक्रिया भी प्रदान की गई है और निगम मनी लॉन्ड्रिंग रोधी, वित्तीय आतंकवाद से निपटने के लिए अपने कर्मचारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

enhancing the profitability of the Corporation in the current FY. NPA rescheduling has already been initiated.

Further the Corporation is rigorously following up the NPA recovery by frequent inspection/timely reminders/ recovery suits etc.

3. In the absence of the Computerised Banking Operational Software, company did not have an appropriate internal control system over the change in MCLR Rate and their effective implementation on all the Loans and Advances. Although the company has done periodic review during the year and done the required implementation but since this review is done completely manually so there could be chances of error.

The process of procurement of Computerized accounting software is under implementation. To this the Corporation has conducted several meetings with NeDFI who have computerized accounting software in place which is similar to our need of software as both the organizations are in same line of business.

NeDFI also facilitated our various meeting with their accounting software provider. Further the Corporation also held various meetings with few other software providing agencies to give demos on our customized requirements.

Now the Corporation is under the process of floating RFP for customized software requirement.

4. Although the Company has framed a policy regarding Anti Money Laundering during the current financial year but the Company has still not provided any training to its employees for does not have any arrangement for providing training to its employees for Anti Money Laundering rid combating financial terrorism during the year.

Corporation has adopted policy on Know Your Customers (KYC) norms & Anti Money Laundering (AML) measures in its 45th Board meeting held on 25.01.2023 wherein proper procedure for Employee training is also provided in the policy and the Corporation will make suitable arrangements for providing mandatory training to its employees for Anti Money Laundering rid combating financial terrorism.

सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, श्री पवन कुमार, कंपनी सचिव, जम्मू द्वारा आयोजित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 19.09.2023 इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

1. निदेशक मंडल की एक बैठक (18.08.2022 को आयोजित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के तहत वैधानिक आवश्यकता के बजाय 120 दिनों के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी, जिसमें प्रावधान था कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होगा।

निगम के बोर्ड में अध्यक्ष और कुछ निदेशकों की व्यस्तता के कारण, पिछली 42वीं बोर्ड बैठक जो 31.03.2022 को हुई थी, के 120 दिनों के भीतर दूसरी बैठक का आयोजन किया जा सका। उक्त के बाद दिनांक 18.08.2022 एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी बोर्ड बैठकें कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की गईं।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के तहत खुलासा किए जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्नक I के रूप में दी गई है।

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

वार्षिक विवरणों के उद्धरण का हिस्सा वाले विवरण को निर्धारित फार्म एमजीटी 9 में भरकर इस रिपोर्ट के साथ अलग से अनुबंध (अनुबंध- प) के रूप में संलग्न किया गया है।

लेखा परीक्षक

मेसर्स मिश्रा साहू जैन एंड एसोसिएट्स (एनआर1168), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जम्मू को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएजी द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस संबंध में नियुक्ति पत्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/सेन्ट्रल गर्वनमेंट,

Secretarial Audit Report

Secretarial Audit for the year 2022-23 was conducted by Sh. Pawan Kumar, Company Secretary in practice, Jammu, in accordance with the provisions of Section 204 of the Companies Act 2013. Secretarial Audit Report for the financial year 2022-23 dated 19.09.2023 is attached with this Report.

In connection with the Auditors observations in the report, the explanation is as under:

1. One meeting of Board of Directors (held on 18.08.2022) was held after a gap of 120 days instead of statutory requirement u/s 173 of the Companies Act, 2013 providing that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board.

Due to the pre-occupation of the Chairman & some of the Directors on Board of the Corporation, only one Board Meeting dated 18.08.2022 could not be held within 120 days of the previous 42nd Board meeting which was on 31.03.2022. Thereafter all the Board meetings for the FY 2022-23 were held in compliance of the provisions of the Companies Act.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

The information relating to the conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo as required to be disclosed under Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rule 2014 is given as an annexure(Annexure I) forming part of this Report.

Extract of Annual Return

The details forming part of the extract of Annual Return in prescribed Form MGT 9 is annexed as a separate annexure (Annexure II) forming part of this Report.

Auditors

M/s Mishra Sahu Jain & Associates (NR1168), Chartered Accountants, Jammu was appointed as the Auditor of the Company by CAG. The appointment letter in this behalf has been issued by the O/o the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi vide letter No. CA.V/COY/

जेकेडीएफसी(1)/1042 दिनांक 07-09-2022 द्वारा जारी किया गया है।

आभार

आपके निदेशक भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय डी.पी.आई.आई.टी, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम और जे एंड के बैंक लि. से प्राप्त सहयोग के लिए सराहना करते हैं। निदेशक निगम के सभी स्तरों पर कार्यकारी कर्मचारियों के अच्छे कार्य के लिए सराहना करते हैं।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-
प्रबंध निदेशक
(डॉ. जिविशा जोशी)

ह./-
निदेशक
(श्री बालामुरुगन डी.)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22-09-2023

CENTRAL GOVERNMENT, JKDFC(1)/1042 dated 07-09-2022 for the financial year 2022-23.

Acknowledgement

Your Directors would like to place on record their appreciation for the co-operation, the Corporation received from Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry, DPIIT, Govt. of J&K, Life Insurance Corporation of India and the Jammu and Kashmir Bank Ltd. The Directors express their appreciation for the good work of the executive staff at all levels in the Corporation.

For & on behalf of the Board

Sd/-
Managing Director
(Dr. Jivisha Joshi)

Sd/-
Director
(Sh. Balamurugan D.)

Place: New Delhi
Dated: 22-09-2023

Annexure - I to Directors' Report

**ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय
कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के तहत रिपोर्ट**

**Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo
Report under Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rule 2014**

(A)	ऊर्जा संरक्षण / Conservation of energy		
(i)	ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव The steps taken or impact on conservation of energy	:	गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के कारण लागू नहीं होता Not applicable being a Non-Banking Finance Company
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम The steps taken by the company for utilizing alternate source of energy	:	लागू नहीं Not Applicable
(iii)	ऊर्जा संरक्षण संबंधी पूंजी निवेश The capital investment on energy conservation	:	शून्य Nil
(B)	तकनीकी उपयोग / Technology absorption		
(i)	तकनीकी उपयोग की ओर किए गए प्रयास The efforts made toward technology absorption	:	गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के कारण लागू नहीं होता Not applicable being a Non-Banking Finance Company
(ii)	उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution	:	लागू नहीं Not Applicable
(iii)	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्षकी शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किया गया)। In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year		
(a)	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण The details of technology imported	:	लागू नहीं Not Applicable
(b)	आयात का वर्ष The year of import	:	लागू नहीं Not Applicable
(c)	क्या तकनीक का पूरी तरह से उपयोग किया गया है Whether the technology been fully absorbed	:	लागू नहीं Not Applicable
(d)	यदि पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया तो, वे क्षेत्र जहां उपयोग नहीं हुआ है, और उसके कारण; और If not fully absorbed, areas where absorption has not been taken place, and the reasons thereof; and	:	लागू नहीं Not Applicable

(iv)	अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय The expenditure incurred on Research and Development	:	लागू नहीं Not Applicable
(C)	विदेशी मुद्रा आय और व्यय/Foreign exchange earnings and Outgo		
	वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के संदर्भ में अर्जित विदेशी मुद्रा और वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्प्रवाह के संदर्भ में विदेशी मुद्रा का व्यय The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual outflows	:	वर्ष के दौरान कोई विदेशी विनिमय नहीं किया गया। There was no foreign exchange earning or outgo during the year

ह./—

प्रबंध निदेशक
(डॉ. जिविशा जोशी)

Sd/-

Managing Director
(Dr. Jivisha Joshi)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22-09-2023

ह./—

निदेशक
(श्री बालामुरुगन डी.)

Sd/-

Director
(Sh. Balamurugan D.)

Place: New Delhi

Dated: 22-09-2023

निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक-2
Annexure - 2 to Directors' Report

फॉर्म नंबर एमजीटी 9 / FORM NO MGT 9

वार्षिक रिटर्न का विवरण / EXTRACT OF ANNUAL RETURN

31-03-2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति / As on financial year ended on 31-03-2023

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 12(1) के अनुसार नियम, 2015

Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2015

I पंजीकरण और अन्य विवरण:		
I REGISTRATION & OTHER DETAILS:		
i	सीआईएन / CIN	U65920JK2005GOI002523
ii	पंजीकरण की तारीख / Registration Date	30-05-2005
iii	कंपनी का नाम / Name of the Company	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd.
iv	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी Category/Sub-category of the Company	कंपनी के पास शेयर पूंजी है Company having Share Capital
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क करने का विवरण Address of the Registered office & contact details	ग्राउंड फ्लोर, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू। फोन नंबर 0191-2479179; ईमेल आईडी: contact@jkdffc.org Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu. Ph. No. 0191-2479179; email ID : contact@jkdffc.org
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध कंपनी है Whether listed company	नहीं / No
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो। Name address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	लागू नहीं / N.A.

II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक क्रिया कलाप			
II PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY			
	उन सभी व्यापारिक क्रियाकलापों का विवरण दिया जाना है जिनका कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान रहा है। All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated		
क्रमांक Sr. No.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण Name & Description of main products/services	कंपनी के उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/service of the Company	कंपनी के कुल कारोबार का % % to total turnover of the Company
1	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज Interest on loans & advances	6492	100%

III होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण					
III PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES					
क्रमांक Sr. No.	कंपनी का नाम और पता Name & Address of the Company	सीआईएन / जीएलएन CIN/ GLN	होल्डिंग / सहायक / संबंध करना Holding/Subsidiary/ Associate	धारित शेयरों का % % of shares held	उपयुक्त अनुभाग Applicable Section
शून्य/ NIL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL

IV शेयरधारिता पैटर्न (इक्विटी शेयर पूंजी कुल इक्विटी के % के रूप में विभाजित)									
IV SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share capital Break up as % to total Equity)									
शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				% वर्ष के दौरान परिवर्तन % change during the year
	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	
क. प्रमोटर A. Promoters									
1. भारतीय / 1. Indian									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ a) Individual/HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार b) Central Govt. or State Govt.	-	6,00,00,000	6,00,00,000	75%	-	6,00,00,000	6,00,00,000	75%	-
(ग) निकाय कॉर्पोरेट c) Bodies Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) बैंक / एफआई / d) Bank/FI		2,00,00,000	2,00,00,000	25%		2,00,00,000	2,00,00,000	25%	-
(ङ) कोई अन्य e) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग: (क)(1) SUB TOTAL: (A) (1)	-	8,00,00,000	8,00,00,000	100%	-	8,00,00,000	8,00,00,000	100%	-

2) विदेशी									
2) Foreign									
(क) एनआरआई—व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) कोई और									
a) NRI-Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Bank/FI									
e) Any other									
उप योग (क) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (A) (2)									
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता	-	8,00,00,000	8,00,00,000	100%	-	8,00,00,000	8,00,00,000	100%	-
(क)=(ख)(1)+(ग)(2)									
Total Shareholding of promoter									
(A) = (A)(1) + (A)(2)									
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
B. Public Shareholding									
1) संस्थानों									
Institutions									
(क) म्यूचुअल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds									
(ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks/FI									
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.									
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt.									

ड) वेंचर कैपिटल फंड e) Venture Capital fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियों f) Insurance companies									
छ) एफआईआई g) FIIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम h) Foreign venture	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) (निर्दिष्ट करें) i) Others(specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग SUB TOTAL(B) (1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) गैर संस्थान Non Institutions									
क) निकाय कॉर्पोरेट a) Bodies corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) प्रवासी Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) शून्य/ b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) लाख रुपये तक के नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक i) Individuals shareholders holding nominal share capital uptoRs. 1 lac	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) 1 लाख रुपये से अधिक के शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lac	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) ट्रस्ट c) Others (specify) trusts	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग SUB TOTAL(B) (2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (एबीसी) Grand Total (A+B+C)	-	8,00,00,000	8,00,00,000	100	-	8,00,00,000	8,00,00,000	100	-

V. प्रवर्तकों की शेयरधारिता/ SHARE HOLDING OF PROMOTERS								वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में % परिवर्तन % change in share holding during the year
क्र.सं S. No	शेयरधारक का नाम Shareholder's Name	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of year			
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company	कुल शेयरों पर गिरवी रखे गए शेयरों का % % shares pledged encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	कुल शेयरों पर गिरवी रखे गए शेयरों का % % of shares pledged encumbered to total shares	
1	संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industry	2,00,00,000	25%	शून्य Nil	2,00,00,000	25%	शून्य Nil	शून्य Nil

2	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (कश्मीर अनुभाग) के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (Kashmir Section)	2,00,00,000	25%	शून्य Nil	2,00,00,000	25%	शून्य Nil	शून्य Nil
3	उप सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through Deputy Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industry	99,99,970	12.4999 6.25%	शून्य Nil	99,99,970	12.4999 625%	शून्य Nil	शून्य Nil
4	सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार Govt. of J&K through Secretary, Finance Department	50,00,000	6.25%	शून्य Nil	50,00,000	6.25%	शून्य Nil	शून्य Nil
5	सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार Govt. of J&K through Secretary, Industries & Commerce Department	50,00,000	6.25%	शून्य Nil	50,00,000	6.25%	शून्य Nil	शून्य Nil
6	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	1,00,00,000	12.50%	शून्य Nil	1,00,00,000	12.50%	शून्य Nil	शून्य Nil
7	जे एंड के बैंक लिमिटेड J&K Bank Ltd.	1,00,00,000	12.50%	शून्य Nil	1,00,00,000	12.50%	शून्य Nil	शून्य Nil
8	निदेशक (कश्मीर), गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India, through Director (Kashmir), Ministry of Home Affairs	10	0.0000125%	शून्य Nil	10	0.0000125%	शून्य Nil	शून्य Nil

9	एमडी, जेकेडीएफसी के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through MD, JKDFC	10	0.0000125%	शून्य Nil	10	0.0000125%	शून्य Nil	शून्य Nil
10	निदेशक एसपीएस, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through Director SPS, DPIIT, Ministry of Commerce & Industry	10	0.0000125%	शून्य Nil	10	0.0000125%	शून्य Nil	शून्य Nil
	कुल / Total	8,00,00,000	100%	शून्य Nil	8,00,00,000	100%	शून्य Nil	शून्य Nil

VI	प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो उल्लेख करें) / Change In Promoters Shareholding (Specify if there is no change)				
क्र. सं. S. No	प्रमोटरों का नाम Name of the Promoters	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (01-04-2022) Share holding at the beginning of the year (01-04-2022)		वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31-03-2023) Shareholding at the end of the year (31-03-2023)	
	शून्य NIL	शेयरों की संख्या No of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company
	शून्य NIL	शून्य NIL	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है There is no change in the promoters shareholding		

VII	शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs)				
S. No	शेयर धारक का नाम Name of the Shareholder	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग (01-04-2022) Share holding at the beginning of the year (01-04-2022)		वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31-03-2023) Shareholding at the end of the year (31-03-2023)	
	शून्य Nil	शेयरों की संख्या No of shares	कुल शेयरों का % % of total shares of the company	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का % % of total shares of the company
	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

VIII. निदेशकों और केएमपी की शेयरधारिता / Shareholding of Directors & KMP					
Sr. No	निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का नाम Name of the Directors/ Key Managerial Personal	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग (01-04-2022) Share holding at the beginning of the year (01-04-2022)		वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31-03-2023) Shareholding at the end of the year (31-03-2023)	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का % % of total shares of the company	निदेशक No. of shares	शेयरों की संख्या % of total shares of the Company
1	श्री अनुराग जैन (27.09.2021 से 20.04.2023 तक नियुक्त) Sh. Anurag Jain (appointed on 27.09.2021 till 20.04.2023)				
2	श्री राजेश कुमार सिंह (20.04.2023 को नियुक्त) Sh. Rajesh Kumar Singh (appointed on 20.04.2023)				
3	श्री राजेंद्र रत्नू (04.04.2019 से 09.02.2023 तक नियुक्त) Sh. Rajendra Ratnoo (appointed on 04.04.2019 till 09.02.2023)				
4	श्री बालामुरुगन डी. (10.05.2023 को नियुक्त) Sh. Balamurugan D. (appointed on 10.05.2023)				
5	श्री मनीष तिवारी (दिनांक 28.12.2020 से 18.08.2022 तक नियुक्त) Sh. Manish Tiwari (appointed on 28.12.2020 till 18.08.2022)				
6	श्री आशुतोष अग्निहोत्री (18.08.2022 से 19.01.2023 तक नियुक्त) Shri Ashutosh Agnihotri (appointed on 18.08.2022 to 19.01.2023)				
7	श्री प्रशांत लोखंडे (19.01.2023 को नियुक्त) Sh. Prashant Lokhande (appointed on 19.01.2023)				

8	<p>श्री अटल डुल्लू (दिनांक 18.08.2021 से 04.05.2022 तक नियुक्त) Sh. Atal Dulloo (appointed on 18.08.2021 till 04.05.2022)</p>				
9	<p>श्री विवेक भारद्वाज (28.04.2022 से 30.09.2022 तक नियुक्त) Shri Vivek Bhardwaj (appointed on 28.04.2022 to 30.09.2022)</p>				
10	<p>श्री रंजन प्रकाश ठाकुर (01-03-2021 से 28.04.2022 तक नियुक्त) Shri Ranjan Prakash Thakur (appointed on 01-03-2021 till 28.04.2022)</p>				
11	<p>श्री संतोष डी वैद्य (16.06.2023 को नियुक्त) Sh. Santosh D Vaidya (appointed on 16.06.2023)</p>				
12	<p>श्री प्रशांत गोयल (दिनांक 02.10.2023 से 26.05.2023 तक नियुक्त) Sh. Prashant Goyal (appointed on 02.10.2023 to 26.05.2023)</p>				
13	<p>श्री विक्रमजीत सिंह (26.05.2023 को नियुक्त) Sh. Vikramjit Singh (appointed on 26.05.2023)</p>				
14	<p>श्री सौगात बिस्वास (25.04.2022 से 05.07.2023 तक नियुक्त) Sh Saugat Biswas (appointed on 25.04.2022 to 05.07.2023)</p>				
15	<p>डॉ जिविषा जोशी (22.03.2022 को नियुक्त) Dr. Jivisha Joshi (appointed on 22.03.2022)</p>				

16	श्री मनोज कुमार खेमू (14.03.2022 से 30.05.2023 तक नियुक्त) Sh. Manoj Kumar Kemmu (appointed on 14.03.2022 to 30.05.2023)				
17	श्री कुलदीप टिक्कू (दिनांक 06.06.2023 को नियुक्त) Sh. Kuldeep Tickoo (appointed on 06.06.2023)				
18	श्री सुनील कुमार बघेल (गैर-आआधिकारिक स्वतंत्र निदेशक) (23-09-2020 को नियुक्त) Shri Sunil Kumar Baghel (Non- Official Independent Director) (appointed on 23-09-2020)	-	-	-	-
19	श्रीमती रशिम सूद (गैर-आआधिकारिक स्वतंत्र निदेशक) (23-09-2020 को नियुक्त) Smt. Rashim Sood (Non- Official Independent Director) (appointed on 23-09-2020)				
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Managerial Personnel	-	-	-	-
1.	डॉ जिविषा जोशी गंगोपाध्याय, प्रबंध निदेशक (22.03.2022 को नियुक्त) Dr Jivisha Joshi Gangopadhyay, Managing Director (appointed on 22.03.2022)				
2.	श्री मुदासिर अहमद सीएफओ Mr. Mudasir Ahmad CFO	-	-	-	-
3.	सुश्री कामाक्षी सिंह कंपनी सचिव Ms. Kamakshi Singh Company Secretary	-	-	-	-

IX ऋण भार / INDEBTEDNESS				
(रुपये लाख में) / (Rupees in lakh)				
ब्याज बकाया / उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए अबकाया सहित कंपनी की ऋण दबाव Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment				
	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल ऋण दबाव Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋण / Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) मूल धन / Principal Amount	-	-	-	-
ii) ब्याज बकाया है लेकिन भुगतान नहीं किया गया Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं Interest accrued but not due	-	-	-	-
कुल / Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन / Change in Indebtedness during the financial year				
परिवर्धन / Additions	-	-	-	-
कटौती / Reductions	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन / Net Change	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणदबाव / Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूल धन / Principal Amount	-	-	-	-
ii) ब्याज बकाया है लेकिन भुगतान नहीं किया गया / Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं / Interest accrued but not due	-	-	-	-
कुल / Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

**X. 31 मार्च 2023 तक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक
REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL AS ON 31st MARCH 2023**

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को भुगतान/देय पारिश्रमिक
A. Remuneration paid/payable to Managing Director, Whole-time Director and/or Manager

सकल वेतन (रुपये में) / Gross Salary		(रुपये लाख में) (in Rupees)
1	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the income Tax Act, 1961	शून्य Nil
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	शून्य Nil
2	स्टॉक विकल्प / Stock option	शून्य / Nil

3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	शून्य / Nil
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में / Commission –as % of profit	शून्य / Nil
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें / Others, please specify-	शून्य / Nil
	कुल (क) / Total (A)	शून्य / Nil
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीमा Ceiling as per the Companies Act, 2013	अनुसूची V के अनुसार – (साठ लालाख रुपये) As per Schedule V – (Rupees sixty lacs)

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक: (रुपये में) / Remuneration to other Directors:

(रुपये लाख में) (in Rupees)

S. No	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	निदेशकों का नाम Name of the Directors	
1	स्वतंत्र निदेशक Independent Directors	श्रीमती रशिम सूद Smt Rashim Sood	डॉ. सुनील कुमार बघेल Dr. Sunil Kumar Baghel
	(क) बोर्ड / समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क A. Fee for attending Board/committee Meeting	16,000/-	20,000/-
	(ख) कमीशन / Commission	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें Others, please specify	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	कुल (1) Total (1)	16,000/-	20,000/-
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक Others Non Executive Directors	शून्य / None	
	(क) बोर्ड / समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क Fee for attending Board/committee Meeting	कोई नहीं / Nil	
	(ख) कमीशन / Commission	शून्य / Nil	
	(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें Others, please specify	शून्य / Nil	
	कुल / Total (2)	शून्य / Nil	
	कुल / Total (B) = (1 + 2)	16,000/-	20,000/-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक Total Managerial Remuneration		
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार समग्र सीमा Overall Ceiling as per the Companies Act, 2013		

(ग) एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक:

C. Remuneration to Key Managerial Personal other than MD/Manager/WTD:

S. No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration				कुल राशि Total Amount
	नाम Name	कामाक्षी सिंह Kamakshi Singh	मुदासिर अहमद डार Mudasir Ahmad Dar		रुपये (Rs.)
	पद का नाम / Designation	सीएस / CS	सीएफओ / CFO	सीईओ CEO	
	सकल वेतन / Gross Salary	रु. 15,03,735/-	रु. 18,22,616/-	-	रु. 33,26,351/-
1	(क) आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन। (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act.	-	-	-	शून्य / Nil
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the income tax Act, 1961	-	-	-	शून्य / Nil
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-	शून्य / Nil
2	स्टॉक विकल्प / Stock Option	-	-	-	शून्य / Nil
3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	-	-	-	शून्य / Nil
4	लाभ के % के रूप में कमीशन Commission as % of profit	-	-	-	शून्य / Nil
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (भत्ते) Others, please specify (Allowances)	-	-	-	शून्य / Nil
	कुल / Total	रु. 15,03,735/-	रु. 18,22,616/-	-	33,26,351/-

जुर्माना / दंड / कम्पाउंडिंग आर्थिक दंड

XI. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES

प्रकार / Type	कंपनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाए गए जुर्माने / दंड / कम्पाउंडिंग शुल्क का विवरण Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकरण (आरडी / एएनसीएलटी / न्यायालय) Authority (RD/NCLT/ Court)	अपील की गई, यदि कोई हो (ब्यौरा दें) Appeal made if any (give details)
(क) कंपनी / COMPANY					
जुर्माना Penalty	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

दंड Punishment	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
कंपाउंडिंग Compounding	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
(ख) निदेशक / DIRECTORS					
जुर्माना Penalty	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
दंड Punishment	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
कंपाउंडिंग Compounding	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
(ग) डिफॉल्ट में अन्य अधिकारी / OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
जुर्माना Penalty	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
दंड Punishment	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
कंपाउंडिंग Compounding	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

ह. / -
प्रबंध निदेशक
(डॉ. जिविशा जोशी)

Sd/-
Managing Director
(Dr. Jivisha Joshi)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22-09-2023

ह. / -
निदेशक
(श्री बालामुरुगन डी.)

Sd/-
Director
(Sh. Balamurugan D.)

Place: New Delhi
Dated: 22-09-2023

1 अप्रैल, 2020 या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होने वाले सीएसआर क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट हेतु प्रपत्र

Format for the Annual Report on CSR Activities to be Included in the Board's Report for Financial Year Commencing on or after 1st Day of April, 2020

(क) कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी' कहा जाएगा) के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है ताकि पर्यावरण और समाज के प्रति कंपनी की रुचि के अनुरूप सीएसआर को एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बनाया जा सके जो कारगर और सतत विकास कार्यक्रमों के जरिए समाज में सकारात्मक योगदान पर फोकस करता है।

यह नीति कंपनी द्वारा किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलापों को शामिल करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि वे निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार समय-समय पर यथा सशोधित अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अनुरूप हैं। इसमें वह रणनीति शामिल है जो भावी सीएसआर क्रियाकलापों के लिए योजनाओं को परिभाषित करती है।

The main objective of the CSR Policy is to lay down guidelines for **Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited** (hereinafter referred to as 'the Company') to make CSR as one of the key focus areas to adhere to Company's interest in environment and society that focuses on making a positive contribution to society through effective impact and sustainable development programs.

This Policy covers the CSR activities to be undertaken by the Company and ensuring that they are in line with Schedule VII of the Act as amended from time to time **as detailed in CSR Policy**. It covers the strategy that defines plans for future CSR activities.

(ख) सीएसआर समिति की संरचना।

2. Composition of CSR Committee:

निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति Designation/Nature of Directorship	वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या Number of meetings of CSR Committee held during the year 2022-23.	वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या Number of meetings of CSR committee attended during the year 2022-23.
श्री विवेक भारद्वाज/ श्री प्रशांत गोयल Sh. Vivek Bhardwaj/ Sh. Prashant Goyal	प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार और गैर-कार्यकारी निदेशक, जेकेडीएफसी Principal Secretary, Industries & Commerce Department, Govt. of Jammu & Kashmir & Non- Executive Director, JKDFC	1	1
डॉ जिविषा जोशी Dr. Jivisha Joshi	प्रबंध निदेशक, जेकेडीएफसी Managing Director, JKDFC	1	1

निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति Designation/Nature of Directorship	वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या Number of meetings of CSR Committee held during the year 2022-23.	वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या Number of meetings of CSR committee attended during the year 2022-23.
श्रीमती रशिम सूद Smt. Rashim Sood	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non- Executive Independent Director	1	1
डॉ. सुनील कुमार बघेल Dr. Sunil Kumar Baghel	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non- Executive Independent Director	1	1

- (ग) वेब-लिंक: www.jkdfc.org प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है:
3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company: www.jkdfc.org
- (घ) कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं।
4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report): Not Applicable.
- (ङ) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण:
5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:

क्र.सं. S. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में) Amount available for set-off from preceeding financial years (in Rs)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में) Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
1.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	कुल/TOTAL	शून्य/Nil	शून्य/Nil

(च) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: रु. 67787778/-

6. Average net profit of the company as per section 135(5): Rs. 67787778/-.

(छ) (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रु. 1355756/-

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5): Rs. 1355756/-.

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य।

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: Nil.

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि: शून्य

(c) Amount required to be set off for the financial year: Nil

(घ) वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख+7ग) : रु. 1355756/-.

(d) Total CSR obligation for the FY (7a + 7b+7c): Rs. 1355756/-.

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

(a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में) Total Amount spent for the financial year (in Rs.)	खर्च न की गई राशि (रुपये में)/ Amount unspent (in Rs.)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि Total amount transferred to unspent CSR Account as per section 135(6)		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)		
	मात्रा Amount	स्थानांतरण की तिथि Date of Transfer	निधि का नाम Name of fund	मात्रा Amount	स्थानांतरण की तिथि Date of Transfer
रु. 1355756 /- (रुपये तेरह लाख पचपन हजार सात सौ छप्पन मात्र) Rs. 1355756/- (Rs. Thirteen lacs fifty five thousand seven hundred fifty six only)	शून्य/Nil	शून्य/Nil	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन। Sulabh International Social Service Organisation.	रु. 1355756 /- (रुपये तेरह लाख पचपन हजार सात सौ छप्पन मात्र) Rs. 1355756/- (Rs. Thirteen lacs fifty five thousand seven hundred fifty six only)	31-03-2023 (स्थानांतरण की तिथि) 31-03-2023 (Date of transfer)

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

क्र. सं. S. No	परियोजना का नाम Name of the Project	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद। Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)। Local area (Yes/ No)	परियोजना का स्थान. Location of the project.		परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में) Amount allocated for the project (in Rs.).	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की राशि (रु. में) Amount spent in the current financial Year (in Rs.).	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)। Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	कार्यान्वयन का प्रकार – प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)। Mode of Implementation- Direct (Yes/No).	कार्यान्वयन का तरीका– एजेंसी के माध्यम से Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
				राज्य State	जिला District						नाम Name	सीएसआर CSR Registration Number.
1.	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	Total	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

(ग) सीएसआर राशि का विवरण वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर किया गया खर्च—

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

क्र. सं. Sl. No	परियोजना का नाम Name of the Project	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद। Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	परियोजना का स्थान Local area (Yes/No)	शून्य Location of the project.		परियोजना अवधि Amount spent for the project (in Rs.)	कार्यान्वयन का प्रकार – प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)। Mode of Implementation- Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन का तरीका– एजेंसी के माध्यम से Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
				राज्य State	जिला District			शून्य Name	शून्य CSR Registration Number.
1.	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3.	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	कुल Total	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/ Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

- (घ) प्रशासनिक मदों में खर्च की गई राशिरू शून्य ।
(d) Amount spent in Administrative overheads: Nil.
 (ङ) प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो पर खर्च की गई राशिरू शून्य ।
(e) Amount spent on impact assessment, if applicable: Nil.
 (च) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8ग+8ङ): शून्य ।
(f) Total amount spent for the FY (8b +8c + 8d + 8e): Nil.
 (छ) शुरुआत के लिए अधिशेष राशि, यदि कोई हो ।
(g) Excess amount for set off, if any :

क्र.सं. Sl. No.	विशिष्ट/Particular	राशि (लाख रुपये में) Amount (Rs. in Lacs)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	13.55
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि Total amount spent for the Financial Year	13.55
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि ख(पप)–(प), Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	शून्य/Nil*
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	शून्य/Nil
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (iii)–(iv), Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	शून्य/Nil*

* निगम के निदेशक मंडल के निदेशकों ने 27-03-2023 को आयोजित अपनी 46वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके सीएसआर के रूप में 13,55,756.00 रुपये (तेरह लाख पचपन हजार सात सौ छप्पन रुपये मात्र) का योगदान करने का संकल्प लिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर योगदान सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप् के तहत सीएसआर गतिविधि के रूप में पात्र माना जा रहा है, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार और निगम की सीएसआर नीति का पूर्वावलोकन द्वारा अधिसूचित किया गया है।

इस धनराशि का उपयोग श्रीनगर में 2 (दो) पोर्टेबल टॉयलेट इकाइयों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग और यार्ड नंबर 2 नरवाल, जम्मू में 10 सीटों वाले सार्वजनिक शौचालय परिसर के नवीनीकरण/उन्नयन के लिए किया जाएगा।

* The Board of Directors of the Corporation by passing resolution in its 46th Board meeting held on 27-03-2023 resolved to contribute an amount of Rs. 13,55,756.00 (Rupees Thirteen Lacs fifty five thousand seven hundred fifty six only) as Corporate Social Responsibility (CSR) contribution u/s 135 of the Companies Act, 2013 in respect of the Financial years 2022-23 to Sulabh International Social Service Organisation being eligible as CSR activity under Schedule VII of the Companies Act, 2013 as notified by the Ministry of Corporate Affairs, GoI and within preview of CSR Policy of the Corporation.

The money is utilized for Supply, Installation & Commissioning of 2 (Two) Nos. Portable Toilet units at Srinagar & renovation/up gradation of 10 seated Public Toilet Complex at Yard No. 2 Narwal, Jammu.

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण—

(a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	पिछले वित्तीय वर्ष Preceding Financial Year.	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में) Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)। Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो। Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (लाख रुपये में) Amount remaining to be spent in Succeeding financial years. (Rs. in Lacs)
				निधि का नाम Name of the fund	राशि (रुपये में) Amount (in Rs)	निधि का नाम Date of transfer	
1.	2019-20	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	00
2.	2020-21	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	00
3.	2021-22	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	00
	कुल/Total	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	00

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण—

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

क्र. सं. Sl. No.	प्रोजेक्ट आईडी Project ID.	परियोजना का नाम Name of the project.	वित्तीय वर्ष जिसमें प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। Financial Year in which the project was Commenced.	परियोजना अवधि Project duration.	परियोजना के लिए कुल आवंटित राशि (रुपये में) Total amount allocated for the project (in Rs.).	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (में) रु.) Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.).	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में) Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (in Rs.)	परियोजना की स्थिति —पूर्ण हो चुकी है/चल रही है। Status of the project -Completed /Ongoing.
1.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	कुल/Total	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

(ज) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण)।

9. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset - wise details).

(a) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि: शून्य

Date of creation or acquisition of the capital asset(s): Nil

(b) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि: शून्य

Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset: Nil

(c) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: शून्य

Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc: Nil

(d) बनाई गई या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें।

Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें: लागू नहीं

Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5): N.A

ह. / -

प्रबंध निदेशक

(डॉ. जिविशा जोशी)

Sd/-

Managing Director

(Dr. Jivisha Joshi)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22-09-2023

ह. / -

निदेशक

(श्री बालामुरुगन डी.)

Sd/-

Director

(Sh. Balamurugan D.)

Place: New Delhi

Dated: 22-09-2023

31 मार्च, 2023 को 31 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)।

सेवा में,
सदस्य,
जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड,
भूतल, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012।

मैंने जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड CIN: U65920JK2005GO1002523 (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उपयुक्त निगमित कार्यप्रणालियों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे हमें निगमित आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी की लेखा बही, कागजात, मिनट लेखाबही, फॉर्म और रिटर्न फाइल और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्ड के मेरे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान आम तौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास दी गई विधि में और विषय पर उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं:

मैंने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमें उपलब्ध कराई गई और कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबही, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की निम्न प्रावधानों के अंतर्गत जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके तहत बनाए गए नियम (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

Audit Report for the Financial Year Ended 31 March, 2023 (Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014).

To
The Members,
Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited,
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu- 180012.

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited CIN: U65920JK2005GO1002523 (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of company's books, papers, minute books, forms and returns file and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31 March, 2023 generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records made available to us and maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2023 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (SCRA) and the rules made thereunder; **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;
- (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी कारोबार का निषेध) विनियम, 1992 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डेबिट प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अन्य नियम जो कंपनी पर लागू हो सकते हैं। (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (vi) कंपनी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य कानून। भारतीय रिज़र्व
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder; **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act);
- (a) The Securities and exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; **(Not applicable to the Company during audit period);**
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debit securities) Regulations, 2008; **(Not applicable to the Company during the audit Period);**
- (e) The other regulations of the Securities and Exchange Board of India as may be applicable to the Company. **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**
- (vi) Other laws applicable to the Company as per the representations made by the

बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB की धारा 45(1) से 45(क्यूबी)।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखाबहियों के अनुरक्षण की मेरे द्वारा समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य कानूनों के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) बोर्ड और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सचिवीय मानक।
- (ii) कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और अभ्यावेदन के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन, कंपनी ने निम्नलिखित के अतिरिक्त आम तौर पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(i) निदेशक मंडल की एक बैठक (18/08/2022 को आयोजित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के तहत वैधानिक आवश्यकताएं कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिनों से अधिक का अंतराल न होए के बजाय 120 दिनों के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी।

मैं आगे इसकी रिपोर्ट करता हूँ कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड बैठक की तिथि से पूर्व सभी निदेशकों को सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत विवरण बैठक से पूर्व ही भेजे गए थे और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत बोर्ड बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से

Company. Section 45(1) to 45(QB) of the Chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934.

I further report that compliance by the company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books has not been reviewed by me since the same have been subject to review by statutory auditors and auditors under other statutes.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards of The Institute of Company Secretaries of India with respect to Board and General Meetings.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Company (Not applicable to the Company during the Audit Period)

During the period under review and as per the explanations and representations made by the management and subject to clarifications given to us, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc., mentioned above, except as mentioned below:

(i) One Meeting of Board of Directors (held on 18/08/2022) was held after a gap of 120 days instead of statutory requirement under section 173 of the Companies Act, 2013 providing that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board.

I further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of executive directors, Non-executive directors and Independent Directors. The changes in composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Notice was given to all Directors in advance of the date of Board meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the Board meetings as represented by

लिए गए।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि जैसा कि कंपनी द्वारा दर्शाया गया है और मेरे द्वारा विश्वास किया गया है, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हस्ता /—

कृते पवन कुमार
कंपनी सचिव

स्थान: जम्मू

दिनांक: 19-09-2023

एसीएस नंबर 4628 सीपी नंबर 16624

यूडीआईएन : A004628E001034899

इस रिपोर्ट को मेरे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **अनुलग्नक ए** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

the management were taken unanimously.

I further report that as represented by the Company and relied upon by me there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

sd/-

For Pawan Kumar
Company Secretary

Place : Jammu

Date : 19-09-2023

ACS No. 4628 CP No. 16624

UDIN : A004628E001034899

This Report is to be read with my letter of even date which is annexed as **Annexure A** and Forms an integral part of this report.

सेवा में,
सदस्य,
जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड,
भूतल, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन, रेल हेड कॉम्प्लेक्स,
जम्मू-180012।
सम दिनांक की मेरी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा
जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सटीकता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों और प्रक्रिया का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और कार्यप्रणाली मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हो, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हस्ता /-
कृते पवन कुमार
कंपनी सचिव
स्थान: जम्मू
दिनांक: 19-09-2023
एसीएस नंबर 4628 सीपी नंबर 16624
यूडीआईएन : A004628E001034899

To
The Members,
**Jammu and Kashmir Development Finance
Coporation Limited,**
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu- 180012.
My report of even date is to be read along with
this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. I have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. I believe that the process and practices, I followed, provide a reasonable basis for my opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Wherever required, I have obtained the management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations and standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

sd/-
For Pawan Kumar
Company Secretary
Place : Jammu
Date : 19-09-2023
ACS No. 4628 CP No. 16624
UDIN : A004628E001034899

कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के सदस्यों के
लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
M/s JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT
FINANCE CORPORATION LIMITED

सदस्यगण के लिए।

To the Members of

राय

Opinion

1. हमने मैसर्स जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

1. We have audited the financial statements of **M/s JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year ended, and Notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements").

2. हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानक, 31 मार्च, 2023 तक और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह कंपनी के मामलों की स्थिति और उसका लाभ इस विवरण में शामिल है।

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023 and its **profit** and its cash flows for the year ended on that date.

राय का आधार

Basis for Opinion

3. हमने अपना ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट के साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accord-

हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य मामले

- दिनांक 18/08/2022 को आयोजित निदेशक मंडल की एक बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के तहत वैधानिक आवश्यकता के बजाय 120 दिनों के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी, जिसमें प्रावधान था कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होगा।
- हालांकि वर्ष के दौरान एनपीए मामलों से अच्छी रिकवरी हुई है और कंपनी की परिचालन आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में एनपीए का प्रतिशत बढ़ा है।
- किसी भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अभाव में, कंपनी द्वारा दिए गए अग्रिमों पर ब्याज दर और दंडात्मक ब्याज की जांच के संबंध में ऑडिट प्रक्रिया सीमित है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारियां

4. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित होती हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि उक्त रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं का अध्ययन करना है और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों या हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का गलत विवरण दिया गया है हमें उस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

ance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matters

- One Meeting of Board of Directors (held on 18/08/2022) was held after a gap of 120 days instead of statutory requirement under section 173 of the Companies Act, 2013 providing that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board.
- Although there has been good recovery from NPA cases during the year and substantial increase in operational income of the company. However percentage of NPA has increased compared to last year.
- In the absence of any Banking Software, Audit process is limited with respect to checking of the Interest rate and Penal Interest Charged on Advances given by the Company.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

4. The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Board's report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The said report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

5. कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

6. वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन, संचालनरत कंपनी के कार्य जारी रखने के लिए, कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, कंपनी से संबंधित मामलों को प्रकट करने, जैसा भी लागू हो, तथा तब तक लेखांकन के संचालनरत कंपनी आधार का इस्तेमाल करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि ऐसा करने के अतिरिक्त कोई अन्य व्यावहारिक विकल्प न होने पर प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने अथवा संचालन बंद करने का इच्छुक है।

7. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सम्पूर्णतया गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और हमारा लक्ष्य एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन

Management's Responsibility for the Financial Statements

5. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules 2021. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

6. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

7. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

उच्चस्तरीय का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा मौजूद होने पर किसी सामग्री की गडबडी का हमेशा पता ही लगा लेगा। धोखाधडी या त्रुटि से गलत विवरण हो सकता है। और यह माना जाता है कि यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

9. अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एसएएस के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

हम भी :

- धोखाधडी और त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण की गलत विवरण के जोखिम की पहचान और आकलन, ऐसे जोखिमों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधडी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधडी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को रद्द करना शामिल हो सकती है।
- हम परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के आधार पर चालू विषय के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालकर और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो एक विषय के रूप में जारी रखने की इकाई की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

9. As part of an audit in accordance with SAs specified under section 143(10) of the Act, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material

परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण इकाई एक संचालनरत कंपनी के रूप में परिचालन रोक सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

10. हमने अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद किया।

11. हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ आश्वासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

अन्य वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

12. अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए अधिनियम की अनुसूची-V के साथ पढ़ी गई धारा 197 के तहत निर्धारित प्रावधान और सीमाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

13. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक क" में एक विवरण देते हैं।।

14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के संदर्भ में जांच किए जाने वाले क्षेत्र को इंगित करते हुए निर्देश जारी किया है, जिसका अनुपालन "अनुलग्नक ख" में निर्धारित किया गया है।

uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

10. We communicated with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

12. As required by Section 197(16) of the Act, we report that the Company is a Government Company hence the provisions of and limits laid down under Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the company.

13. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (the 'Order') issued by the Central Government of India in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

14. The Comptroller and Auditor General of India has issued direction indicating the area to be examined in terms of sub section (5) of section 143 of the Companies Act 2013, the compliance of which is set out in "Annexure B".

15. अनुबंध क में हमारी टिप्पणियों के अलावा, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के उद्देश्य से आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में, जहां तक उन खातों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खातों का लेखा जोखा रखा गया है।
- (ग) इस रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरण खाते की पुस्तकों के अनुरूप हैं।
- (घ) कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (ङ) निगम एक सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार लागू नहीं है।
- (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-ग" में हमारी रिपोर्ट देखें।
- (छ) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है;
 - कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान के लिए प्रावधान किया है; और

15. Further to our comments in Annexure A, as required by Section 143(3) of the Act, we report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the accompanying financials statements.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- (c) The Financial statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021.
- (e) The Corporation being a Government Company section 164(2) of the Company Act, 2013 is not applicable as per Notification dated 5th June, 2015 of Ministry of Corporate Affairs.
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer our report in "Annexure-C".
- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2021, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements;
 - The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts; and

- iii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।
- iv. क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) या कंपनी द्वारा या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(ओं) को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।
- ख) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है। संस्थाएँ ("फंडिंग पार्टियाँ"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।
- ग) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और सही माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ड) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन दिया जा सके, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत दिया गया है, इसमें कोई भौतिक गलत कथन है।
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended March 31, 2023.
- iv. a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- b) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf.
- c) Based on the audit procedures that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11 (e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. कं॒पनी ने वर्ष के दौ॒रान प्रस्ता॒वित लाभांश सहित लाभांश की घोषणा नहीं की है और इसलिए नियम 11(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. The Company has not declared dividend including proposed dividend during the year and hence reporting under Rule 11(f) is not applicable.

मि॒श्रा सा॒हू जै॒न एंड एसोसि॑एट्स के लिए
चा॒र्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 015727एन

for Mishra Sahu Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn.No 015727N

राजेश सनोत्रा
साझेदार
यूडीआईएन: 23512893BGYKLF9459
सदस्यता संख्या: 512893

Rajesh Sanotra
Partner
UDIN: 23512893BGYKLF9459
Membership No : 512893

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई 2023

Place: New Delhi
Date: 24 July 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

(i) क) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (i) (क) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सालाना चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवश्यकता उचित है।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ब) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(म) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ii) (क) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी मुख्य रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है और

ANNEXURE-A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended March 31, 2023, we report that :-

(i) (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(B) The Company does not have any intangible assets and accordingly, reporting under clause 3(i)(a)(B) of the Order is not applicable to the Company.

(b) The Company has a regular program of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which Property, Plant and Equipment are verified in a phased manner annually. In accordance with this program, the Property, Plant and Equipment were verified during the year and no material discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.

(c) The Company does not own any immovable property (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee). Accordingly, reporting under clause 3(i)(c) of the Order is not applicable to the Company.

(d) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the year. Further, the Company does not hold any intangible assets.

(e) No proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, reporting under clause 3(i)(e) of the Order is not applicable to the Company.

(ii) (a) As explained to us, the company is primarily engaged in rendering financial

इसलिए उसके पास कोई भौतिक सूची नहीं है। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3(पप)(क) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी को वर्ष के किसी भी समय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियां; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) लागू नहीं होता है।

(iv) कंपनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है और नहीं कोई निवेश किया गया है जो अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत आता है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं होता है।

(v) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के तहत समझा गया जमा माना गया हो। कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आय-कर और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तकों में कटौती/उपार्जित राशि नियमित रूप से वर्ष के दौरान जमा की गई है, सिवाय कंपनी द्वारा उपयुक्त अधिकारियों के साथ कुछ मामूली देरी के। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारियों के राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क,

services & therefore does not hold any physical inventories. Thus, paragraph 3(ii) (a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) The Company has not been sanctioned working capital limits by banks or financial institutions on the basis of security of current assets during any point of time of the year. Accordingly, reporting under clause 3(ii) (b) of the Order is not applicable to the Company.

(iii) The Company has not granted any loans to companies, firms. Limited Liability partnerships or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3 (iii) of the Order is not applicable.

(iv) The Company has not given any loans to directors & has not made any investments which are covered under section 185 and 186 of the Act. Hence, paragraph 3(iv) of the Order is not applicable.

(v) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or there is no amount which has been considered as deemed deposit within the meaning of sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Accordingly, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable to the Company.

(vi) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act, in respect of the activities carried on by the Company. Accordingly, reporting under clause 3(vi) of the order is not applicable.

(vii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/ accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including provident fund, income-tax and other statutory dues have been regularly deposited during the year *except some minor delays* by the Company with the appropriate authorities. As explained to us, the Company does not have any dues

मूल्य वर्धित कर और उपकर का कोई बकाया नहीं है।

कंपनी के पास संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई वैधानिक बकाया नहीं है।

(ख) भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं थी, जो 31 मार्च, 2023 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर निर्धारणों में वर्ष के दौरान आय के रूप में न तो कोई लेन-देन सरेंडर किया गया था और न ही उसका खुलासा किया गया था, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने ऋणों या उधारों के पुनर्भुगतान या किसी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया गया है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान या किसी पिछले वर्ष में अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों

on account of employees's state insurance, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax and cess.

The Company does not have any arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) There were no disputed amounts payable in respect of provident fund, income-tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax in arrears / were outstanding as at 31 March, 2023 for a period of more than six months from the date they became payable.

(viii) According to the information and explanations given to us, no transactions were surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) which have not been recorded in the books of accounts.

(ix) (a) According to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of its loans or borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.

(b) According to the information and explanations given to us including representation received from the management of the Company, and on the basis of our audit procedures, we report that the Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.

(c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, money has not been raised by way of term loans.

(d) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not raised any funds on short term basis during the year or in any previous year. Accordingly, reporting under clause 3(ix) (d) of the Order is not applicable to the Company.

(e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of

के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में कोई प्रतिभूति नहीं रखती है। इसके अलावा प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण नहीं लिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ग) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ग) (क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आवंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ग) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी इस दौरान देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है म लमंत।

(ख) हमारे ऑडिट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए अधिनियम की धारा 143(12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दायर नहीं की गई है।

(ग) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार

the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries.

(f) According to the information and explanations given to us, company does not hold any security in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. Further no loan has been raised on the pledge of securities. Accordingly, reporting under clause 3(ix) (f) of the Order is not applicable to the Company.

(x) (a) The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments), during the year. Accordingly, reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or (fully, partially or optionally) convertible debentures during the year. Accordingly, reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable to the Company.

(xi) (a) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

(b) No report under section 143(12) of the Act has been filed with the Central Government for the period covered by our audit.

(c) According to the information and explanations given to us including the representation made to us by the management of the Company, there are no whistle-blower complaints received by the Company during the year.

(xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

(xiii) According to the information and explanations given to us and based on our

पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू होते हैं और वित्तीय विवरणों में विवरण का खुलासा किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के तहत आवश्यक एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमने ऑडिट अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आज तक जारी की गई रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (गअपपप) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और वित्तीय अनुपातों, वृद्धावस्था और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास होता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।

examination of the records of the Company, transactions with related parties are in compliance with section 177 and 188 of the companies act ,2013 where applicable and details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system as required under section 138 of the Act which is commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the reports issued by the Internal Auditors of the Company till date for the period under audit.

(xv) According to the information and explanation given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them and accordingly, provisions of section 192 of the Act are not applicable to the Company.

(xvi) The Company is required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and the registration has been obtained.

(xvii) The Company has not incurred cash losses in the current financial year & in the immediately preceding financial year.

(xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, reporting under clause 3(xviii) of the Order is not applicable to the Company.

(xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the plans of the Board of Directors and management and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance

हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

- (xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वर्तमान में चल रही किसी भी परियोजना के अलावा किसी भी अन्य परियोजना के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xxi) खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

मिश्रा साहू जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 015727एन

राजेश सनोत्रा
साझेदार
यूडीआईएन: 23512893BGYKLF9459
सदस्यता संख्या: 512893

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई 2023

sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

- (xx) According to the information and explanations given to us, the Company does not have any unspent amount in respect of any ongoing or other than ongoing project as at the expiry of the financial year. Accordingly, reporting under clause 3(xx) of the Order is not applicable to the Company.
- (xxi) The reporting under clause 3(xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

for Mishra Sahu Jain & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No 015727N

Rajesh Sanotra
Partner
UDIN : 23512893BGYKLF9459
Membership No : 512893

Place : New Delhi
Date : 24 July 2023

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के संबंध में वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश के साथ अनुलग्नक-ख

क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हांए तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया।

हां, कंपनी के पास ब्याज गणना के साथ दिए गए अग्रिमों से संबंधित लेनदेन को छोड़कर लेखा सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन करने की एक प्रणाली है। कंपनी को एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि सभी ब्याज गणना एक्सेल पर की जाती है। इसलिए, त्रुटि की संभावना काफी अधिक है, हालांकि वित्तीय विवरण तैयार करते समय एमसीएलआर में परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखा गया था, लेकिन चूंकि एमसीएलआर में परिवर्तन का यह प्रभाव कंपनी के लिए उपलब्ध बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अभाव में एक्सेल में किया गया था, इसलिए त्रुटि की संभावना काफी अधिक क्रम है।

क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या / उधारी / ऋण / ब्याज आदि को माफ / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।

जी नहीं, हमारी राय में मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या उधारी / ऋण / ब्याज की माफी / बट्टे खाते का कोई मामला नहीं है।

क्या केंद्र / राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि (अनुदान / सब्सिडी आदि) का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब / उपयोग किया गया था? विचलन के मामले सूचीबद्ध करें।

Annexure- B with the Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 for the year 2022-23 in respect of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd.

Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Yes, Company has a System to Place all Accounting transactions through Accounting Software except the transactions related to the Advances given along with their Interest Calculation. The Company is in an urgent need of a Banking Software, as all the Interest Calculation is done on the Excel. Hence, the Chances of Error are quite high further, although the Impact of change in MCLR was taken in to consideration while preparing the Financial Statements, but since this impact of change in MCLR was done in excel in the absence of Banking Software available to the company therefore the chances of error are quite high.

Whether there is any restructuring of existing loan or cases of waiver/write off of debt/loans/ interest etc. Made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company).

No, In Our Opinion there is no case of restructuring of existing loan or cases of waiver/write off of Debt/loans/interest.

Whether funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the case of deviation.

जी हां, केंद्र सरकार से प्राप्त सभी निधियों का वर्तमान देनदारियों में उचित रूप से लेखा होता है और निम्नलिखित को छोड़कर पात्र पक्षों को राशि उचित रूप से वितरित की जाती है:-

(क) 11,997 हजार रुपये की राशि जिसके लिए अधिकारियों से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) रु. 762 हजार मैसर्स के2 इन, राजबाग श्रीनगर नामक इकाई का बकाया है, जिसे स्थगित रखा गया है और माननीय अदालत के निर्देशों के अनुसार जारी किया जाना है।

**मिश्रा साहू जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट**

फर्म पंजीकरण संख्या: 015727एन

राजेश सनोत्रा

साझेदार

यूडीआईएन: 23512893BGYKLF9459

सदस्यता संख्या: 512893

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24 जुलाई 2023

Yes, All the Funds received from Central Government are Properly Accounted for in the Current Liabilities and the amount is properly disbursed to the eligible parties except for the following:-

a) A fund amounting of Rs 11,997 thousands for which no directions have been received from the authorities.

b) Rs. 762 thousands due to a unit named M/s K2 Inn, Raj Bagh Srinagar which is kept on hold & subject to be released as per the directions of honorable court.

**for Mishra Sahu Jain & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS**

Firm Regn.No 015727N

Rajesh Sanotra

Partner

UDIN : 23512893BGYKLF9459

Membership No : 512893

Place : New Delhi

Date : 24 July 2023

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

(पैराग्राफ (च) में संदर्भित "समसंख्यक तिथि की आपकी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट। ("अधिनियम")

हमने 31 मार्च 2023 तक जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षित सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट पर वित्तीय रिपोर्टिंग आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखा परीक्षा पर मानक के अनुसार किया, जो आईसीएआई द्वारा जारी किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना गया था, जो आंतरिक

Annexure -C to the Auditors Report

(Referred to in paragraph (f) under "report on other Legal & Regulatory requirements section of your report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub- section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED ("the company") as of 31st March 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies the safe guarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls over financial reporting base on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013

वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होता है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और और क्या नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:

(1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal Financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company internal financial control over financial reporting is a process design to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with the generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) pertain to maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय; तथा

(3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान का समय पर पता लगाने की रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभुगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री चूक बयान हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

विपरीत राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, हमने निम्नलिखित भौतिक कमजोरी की पहचान की है जिसे प्रबंधन के मूल्यांकन में भौतिक कमजोरी के रूप में पहचाना नहीं गया है:

- कम्प्यूटरिकृत बैंकिंग परिचालन सॉफ्टवेयर के अभाव में, कंपनी के पास एमसीएलआर दर में परिवर्तन और सभी ऋणों और अग्रिमों पर उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। हालाँकि कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक समीक्षा की है और आवश्यक कार्यान्वयन किया है, लेकिन चूंकि यह समीक्षा पूरी तरह से मैनुअल रूप से की जाती है, इसलिए त्रुटि की संभावना हो सकती है।

- हालांकि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान धन शोधन रोधी नीति तैयार की है, लेकिन कंपनी ने अभी तक अपने कर्मचारियों को वर्ष के दौरान धन शोधन रोधी और वित्तीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया है।

(2) provide reasonable assurance that transaction are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipt and expenditures of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention of timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material miss statements due to error or fraud may occur and not to be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of change in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Adverse Opinion

According to the information and explanation given to us and based on our audit, we have identified following material weakness that has not been identified as a material weakness in management's assessment:

- In the absence of the Computerised Banking Operational Software, company did not have an appropriate internal control system over the change in MCLR Rate and their effective implementation on all the Loans & Advances. Although the company has done periodic review during the year and done the required implementation but since this review is done completely manually so there could be chances of error.

- Although the Company has framed a policy regarding Anti Money Laundering during the current financial year but the company has still not provided any training to its employees for Anti Money Laundering and Combating Financial Terrorism during the year.

एक 'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि इस बात की उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरण के भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर बताई गई भौतिक कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के कारण, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को बनाए नहीं रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा था, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर था।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा को निर्धारित करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

मिश्रा साहू जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 015727एन

राजेश सनोत्रा
साझेदार
यूडीआईएन: 23512893BGYKLF9459
सदस्यता संख्या: 512893

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई 2023

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is reasonable probability that a material misstatement of the company annual or interim financial statement will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, because of the effects/possible effects of the material weaknesses stated above on achievement of the objectives of control criteria, the Company has not maintained, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were not operating effectively as at 31st March 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2023 standalone financial statements of the Company, and these material weakness do not affect our opinion on the financial statements of the Company.

for Mishra Sahu Jain & Associates,
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No 015727N

Rajesh Sanotra
Partner
UDIN: 23512893BGYKLF9459
Membership No : 512893

Place: New Delhi
Date: 24 July 2023

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir
UCIN :- U65920JK2005GOI002523

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

31-03-2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र / BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2023

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

इक्विटी और देयताएं / EQUITY AND LIABILITIES	अनुसूची Note No.	31.03.2023 की स्थिति As at 31.03.2023	31.03.2022 की स्थिति As at 31.03.2022
(1) शेयरधारकों की निधियां / Shareholder's Funds			
(a) शेयर पूंजी / Share Capital	1	8,00,000	8,00,000
(b) आरक्षित एवं अधिशेष / Reserves and Surplus	2	9,04,461	8,58,484
(2) गैर चालू देयताएं / Non-Current Liabilities			
(a) अल्पकालिक प्रावधान / Long term provisions	3	736	884
(3) चालू देयताएं / Current Liabilities			
(a) व्यापार देय / Trade Payables	4		
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर देय / Due to micro and small enterprises		-	-
(ii) अन्य पर देय / Due to others		50	-
(b) अल्पकालिक प्रावधान / Short-term Provisions	5	62,837	49,866
(c) अन्य वर्तमान देनदारियां / Other current liabilities	6	1,01,387	1,57,104
	कुल / Total	18,69,471	18,66,338
संपत्तियां / ASSETS			
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ / Non-current assets			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति Property, Plant and Equipments & Intangible Assets			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / Property, Plant and Equipments	7	1,129	1,520
(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम / Long term loans and advances	8	5,71,594	5,71,311
(c) आस्थगित कर संपत्ति (नेट) / Deferred tax Assets (Net)		271	271
(d) अन्य गैर चालू संपत्ति / Other Non Current Assets	9	50	46
(2) चालू संपत्ति / Current assets			
(a) नकद और नकद समकक्ष / Cash and cash equivalents	10	12,85,672	12,78,811
(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम / Short-term loans and advances	11	6,763	10,246
(c) अन्य मौजूदा संपत्तियां / Other current assets	12	3,992	4,133
	कुल / Total	18,69,471	18,66,338

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
 See accompanying notes to the financial statements.

Signed as per our report of even date attached.

For and On Behalf of the Board

For M/s Mishra Sahu Jain & Associates
 Chartered Accountants
 Firm Registration No. 015727N

Sd/-
 (Jivisha Joshi)
 Managing Director

Sd/-
 (Balamurugan D.)
 Director

Sd/-
 (Rajesh Sanotra)
 Partner

Sd/-
 (Mudasir Ahmad)
 CFO

Sd/-
 (Gowhar Arif)
 GM I/c

Membership No : 512893
 Place : New Delhi
 Date : 24th July 2023
 UDIN : 23512893BGYKLF9459

Sd/-
 (Kamakashi Singh)
 Company Secretary

Sd/-
 (Priyanka Gupta)
 Manager

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir
UCIN :- U65920JK2005GOI002523
31-03-2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र /
PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(रुपये हजार में) / (₹ In Thousands)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची Note No.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष for the year ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष for the year ended 31.03.2022
I. परिचालन से राजस्व / Revenue from operations	13	52,354	32,066
II. अन्य आय / Other Income	14	60,233	55,821
III. कुल आय / Total Income		1,12,587	87,887
IV. व्यय / EXPENSES:			
(a) कर्मचारियों के हित पर किया गया व्यय / Employee benefit expense	15	25,292	22,344
(b) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय / Depreciation and amortization expense	7	497	348
(c) अन्य व्यय / Other Expenses	16	19,853	26,994
कुल / Total Expenses		45,642	49,686
V. अपवादात्मक और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV) / PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL & EXTRAORDINARY ITEMS & TAX (III-IV)		66,945	38,201
(VI) अपवादात्मक वस्तुएँ - पूर्व अवधि की वस्तुएँ / Exceptional Items - Prior Period Items		(93)	75
(VII) असाधारण मदों से पूर्व लाभ एवं कर (V-VI) Profit before extraordinary items & Tax (V-VI)		67,038	38,126
(VIII) असाधारण मदें / विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Extraordinary Items		-	-
(IX) कर देने से पूर्व लाभ (VII-VIII) / Profit before tax (VII-VIII)		67,038	38,126
X. कर व्यय / TAX EXPENSE:			
(क) वर्तमान कर / Current tax		21,500	15,700
(ख) आस्थगित कर / Deferred tax		-	-
(ग) पूर्व अवधि कर / Prior Period Taxes		(439)	(674)
निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ (हानि) (IX-X) / Profit(Loss) for the period from continuing operations (IX-X)		45,977	23,100
अवधि के लिए लाभ / (हानि) / Profit / (Loss) for the period		45,977	23,100
मूलभूत एवं तनुकृत ईपीएस / Basic & Diluted EPS		0.57	0.29

Signed as per our report of even date attached.

For and On Behalf of the Board

For M/s Mishra Sahu Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 015727N

Sd/-
(Jivisha Joshi)
Managing Director

Sd/-
(Balamurugan D.)
Director

Sd/-
(Rajesh Sanotra)
Partner

Sd/-
(Mudasir Ahmad)
CFO

Sd/-
(Gowhar Arif)
GM I/c

Membership No : 512893
Place : New Delhi
Date : 24th July 2023
UDIN : 23512893BGYKLF9459

Sd/-
(Kamakashi Singh)
Company Secretary

Sd/-
(Priyanka Gupta)
Manager

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir

UCIN :- U65920JK2005GOI002523

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st March 2023

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2023 for the year ended 31.03.2023	समाप्त वर्ष 31.03.2022 for the year ended 31.03.2022
क)/A) परिचालनगत गतिविधियां से नकदी प्रवाह/Cash flow from operating activities :		
पी एण्ड एल लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before Tax as per P&L Account	67,038	38,126
समायोजन/Adjusted for		
मूल्यहास/Depreciation	497	348
ब्याज आय/Interest income	(60,233)	(55,821)
परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान वापस जोड़े गए/Prior Period Depreciation	-	18
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Provisions for assets added back	13,542	16,326
कार्य शील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ Operating profit before working capital changes	20,844	(1,002)
निम्नलिखित के लिए समायोजन/Adjustment for :		
अल्पकालिक ऋणों और अन्य अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Short Term Loans & Advances	3,483	(5,833)
लंबी अवधि के ऋणों और अन्य अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Long Term Loans & Advances	(1,162)	(62,430)
वर्तमान संपत्ति में वृद्धि/अपवृद्धि/(Increase) / Decrease in Other current assets (वृद्धि)/अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी	140	(43)
(Increase) / Decrease in Other non current assets	(4)	(7)
वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Current liabilities	(55,667)	1,00,002
परिचालनों से प्रजनित नकदी/Cash generated from operations	(32,365)	30,686
प्रदत्त आयकर/Income Tax Paid	(20,901)	(15,215)
सीएसआर देय/CSR Paid	-	(3,191)
प्रचालन-क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क) Net cash from Operating Activities (A)	(53,266)	12,280
ख)/B) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह/Cash Flow from Investing Activities		
अचल संपत्तियों में कमी (वृद्धि)/Purchase of Fixed Assets	(109)	(763)
व्यापार से सम्बन्धित निवेश में परिवर्तन/Disposal of Asset	3	-
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Interest Income	60,233	55,821
निवेश की क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्राप्ति (ख) Net Cash from investing activities (B)	60,127	55,058
ग)/C) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह/Cash Flow from Financing Activities		
शेयर पूंजी/शेयर प्रीमियम /Increase/(Decrease) in Share Capital	-	-
लाभांश/Net Cash from Financing Activities (C)	-	-
नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)/ Net Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	6,861	67,338
नकद और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष Opening Balance of cash and cash Equivalents	12,78,811	12,11,473
नकद और नकद समकक्ष का अंतिम शेष Closing balance of cash and cash Equivalents	12,85,672	12,78,811

JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Cash Flow statement for the year ended 31st March 2023
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (पिछले पेज से जारी)

Notes:

1. Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the Accounting Standard
2. Interest received on Fixed deposit receipts under Investing activities.
3. Cash and cash equivalents includes cash, Bank balances and Imprest accounts
4. The figures of Previous year have been regrouped/rearranged wherever necessary
5. In cash & cash equivalents, the subsidy amount is not available for use of Company but for the unit holders as disbursement.

टिप्पणियाँ:

1. नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है
2. निवेश गतिविधियों के अंतर्गत सावधि जमा रसीदों पर प्राप्त ब्याज।
3. नकद और नकद समतुल्य में नकद, बैंक शेष और अग्रदाय खाते शामिल हैं
4. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है
5. नकद और नकद समकक्ष में, सब्सिडी राशि कंपनी के उपयोग के लिए नहीं बल्कि यूनिट धारकों के लिए संवितरण के रूप में उपलब्ध है।

Signed as per our report of even date attached.

For and On Behalf of the Board

For M/s Mishra Sahu Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 015727N

Sd/-
(Rajesh Sanotra)
Partner

Membership No : 512893
Place : New Delhi
Date : 24th July 2023
UDIN : 23512893BGYKLF9459

Sd/-
(Jivisha Joshi)
Managing Director

Sd/-
(Mudasir Ahmad)
CFO

Sd/-
(Kamakashi Singh)
Company Secretary

Sd/-
(Balamurugan D.)
Director

Sd/-
(Gowhar Arif)
GM I/c

Sd/-
(Priyanka Gupta)
Manager

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड
Notes forming part of financial statements for the reporting period ended March 31,2023

31 मार्च 2023 को समाप्त रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स
(शेयरों की संख्या और प्रति शेयर इक्विटी डेटा को छोड़कर राशि ₹ हजारों में)

(रुपये हजार में) / (in (Amt In ₹ Thousands except no. of shares and per share equity data)

विवरण / Particulars	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
सूची नं. 1 / Note No : 1		
शेयर कैपिटल / Share Capital:		
अधिकृत पूंजी / Authorised Capital 10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये के / 10,00,00,000 Equity shares of Rs 10/ each	10,00,000	10,00,000
जारी, सब्सक्राइब और भुगतान किया गया / Issued, Subscribed & Paid up		
8,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये के 8,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each (Par value per share Rs. 10/-)	8,00,000	8,00,000
कुल / Total	8,00,000	8,00,000

(क) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएँ और प्रतिबंध

(a) Rights, preferences and restrictions attached to shares

The Company has only One class of Shares i.e. Equity Share having a par value Rs 10 per share. Holder of Equity share each entitled to one vote per share. The Company has not paid dividend during the reporting year. In the event of Liquidation of the company the holder of equity will be entitled to receive remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts. The Distribution will be in proportion to the number of Equity Shares held by the shareholder.

कंपनी के पास शेयरों की केवल एक श्रेणी है यानी इक्विटी शेयर, जिसका सममूल्य मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। वितरण शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ख) – रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान:-

(b) Reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period :-

Equity shares with voting rights of Rs 10 each:-

10 रुपये प्रति मूल्य के वोटिंग अधिकार वाले इक्विटी शेयररू-

विवरण / Particulars	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
वर्ष की शुरुआत में संतुलन Balance as at beginning of the year	8,00,00,000	8,00,00,000
योग: वर्ष के दौरान जारी किया गया / Add: Issued during the year	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि / Balance as at end of the year	8,00,00,000	8,00,00,000

(ग) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण: –

(c) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:-

Equity Shares of Rs 10 each:-

10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर:-

	विवरण / Particulars	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	%	शेयरों की संख्या No. of Shares	%
1	संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. Of India through Joint Secretary, DIPP, Ministry Of Commerce & Industry	2,00,00,000	25.00%	2,00,00,000	25.00%
2	संयुक्त सचिव, (कश्मीर अनुभाग) गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. Of India through Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (Kashmir Section)	2,00,00,000	25.00%	2,00,00,000	25.00%
3	उप सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. Of India through Deputy Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	99,99,970	12.49%	99,99,970	12.49%
4	सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार / Govt. Of J&K through Secretary, Finance Deptt.	50,00,000	6.25%	50,00,000	6.25%
5	सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार Govt. Of J&K through Secretary, Industries & Commerce Deptt.	50,00,000	6.25%	50,00,000	6.25%
6	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	1,00,00,000	12.50%	1,00,00,000	12.50%
7	जे एंड के बैंक लिमिटेड / J&K Bank Ltd.	1,00,00,000	12.50%	1,00,00,000	12.50%

(घ) पिछले 5 वर्षों के दौरान नकद में प्राप्त भुगतान के बिना जारी किया गया शेयर

कंपनी ने नकद के अलावा कोई अन्य शेयर आवंटित नहीं किया है।

(d) Share issued without payment received in cash during immediately preceding 5 years

The Company has not allotted any share for the consideration other than cash.

(ङ) वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

(e) Details of shares held by each Promoter at the end of the year

	विवरण / Particulars	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022		
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year
1	संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार / Govt. Of India through Joint Secretary, DIPP, Ministry Of Commerce & Industry	2,00,00,000	25.00%	-	2,00,00,000	25.00%	-
2	संयुक्त सचिव, (कश्मीर अनुभाग) गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार / Govt. Of India through Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (Kashmir Section)	2,00,00,000	25.00%	-	2,00,00,000	25.00%	-
3	उप सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार / Govt. Of India through Deputy Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	99,99,970	12.49%	-	99,99,970	12.49%	-
4	सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार / Govt. Of J&K through Secretary, Finance Deptt.	50,00,000	6.25%	-	50,00,000	6.25%	-

	विवरण / Particulars	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022		
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year
5	सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार / Govt. Of J&K through Secretary, Industries & Commerce Deptt.	50,00,000	6.25%	-	50,00,000	6.25%	-
6	भारतीय जीवन बीमा निगम / Life Insurance Corporation of India	1,00,00,000	12.50%	-	1,00,00,000	12.50%	-
7	जे एंड के बैंक लिमिटेड / J&K Bank Ltd.	1,00,00,000	12.50%	-	1,00,00,000	12.50%	-

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

टिप्पण-2 / NOTE 2- भंडार और अधिशेष / RESERVES & SURPLUS		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
क) / a)	संपत्ति कोष / Capital Reserve :	4,293	4,293
	प्रतिधारित आय / Retained Earnings:		
I	वैधानिक रिजर्व / Statutory Reserve		
	वर्ष की शुरुआत में संतुलन Balance as at the beginning of the year	32,937	28,317
	वर्ष के दौरान / During year	9,195	4,620
	वर्ष के अंत में शेष राशि Balance as at the end of the year	42,133	32,937
II	लाभ और हानि के विवरण में अधिकता / घाटा Excess / Deficit in the Statement of Profit and Loss		
	वर्ष की शुरुआत में At the commencement of the year	8,21,253	8,02,773
	जोड़े वर्ष के लिए लाभ / (हानि) Add: Profit / (Loss) for the year	45,977	23,100
	कम: सांविधिक रिजर्व / Less : Statutory Reserve	(9,195)	(4,620)
	वर्ष के अंत में / At the end of the year	8,58,035	8,21,253
	कुल / Total (I+II)	9,00,168	8,54,191
	आरक्षित एवं अधिशेष का जाल Net of Reserve & Surplus	9,04,461	8,58,484

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

टिप्पण-3 / NOTE 3- दीर्घकालिक प्रावधान / LONG TERM PROVISION	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions against Standard Assets	736	884
कुल / Total	736	884

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

टिप्पण-4 / NOTE 4- व्यापार देनदारियां / TRADE PAYABLES	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बकाया Outstanding dues to Micro, Small and Medium Enterprises	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को बकाया Outstanding dues to creditors other than Micro, Small and Medium Enterprises	50	-
कुल / Total	50	-

प्रबंधन के पास उपलब्ध सीमा तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 22 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बकाया नीचे दिया गया है:

Dues to micro, small and medium enterprises pursuant to section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act (MSMED), 2006 to the extent information available with the management is given below:

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया The principal amount remaining unpaid	-	-
उस पर अर्जित ब्याज वर्ष के अंत में भुगतान नहीं किया गया Interest accrued due thereon remaining unpaid at the year end	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ Interest paid by the Company in terms of Section 16 of MSMED Act, 2006, along with the amount of the payment made to the suppliers and service providers beyond the appointed day during the year	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना Interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006	-	-
संबंधित वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और अवैतनिक शेष Interest accrued and remaining unpaid as at the respective year end	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान किए जाने की तिथि तक, बाद के वर्षों में भी देय और देय अतिरिक्त ब्याज Further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006	-	-

काल प्रभावन अनुसूची के लिए व्यापार भुगतान TRADE PAYABLES AGEING SCHEDULE	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया Outstanding for following periods from due date of payment			
	की संख्या Less than 1 year	शेयरो 1-2 years	संख्या 2-3 years	संख्या More than 3 years
(i) एमएसएमई / MSME				
वित्तीय वर्ष 2022-2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(ii) अन्य / Others				
वित्तीय वर्ष 2022-2023 / FY 2022-2023	50	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई / Disputed Dues - MSME				
वित्तीय वर्ष 2022-2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य / Disputed Dues - Others				
वित्तीय वर्ष 2022-2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

टिप्पण-5 / NOTE 5- अल्पावधि प्रावधान / SHORT TERM PROVISIONS	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
आयकर के लिए प्रावधान / Provision for Income Tax (वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 15,422 हजार रुपये का अग्रिम कर और 6023.35 हजार रुपये का टीडीएस और वित्त वर्ष 21-22 के लिए 9340 हजार रुपये का कुल अग्रिम कर और 5586.51 हजार रुपये का टीडीएस) (Net of advance tax of Rs. 15,422 thousands plus TDS of Rs. 6023.35 thousands for FY 22-23 and net of advance tax of Rs 9340 thousands plus TDS of Rs. 5586.51 thousands for FY 21-22)	55	773
परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान: / Provisions for Assets :		
क) उप मानक संपत्ति / (a) Sub Standard Assets	10,901	9,909
ख) संदिग्ध संपत्ति (b) Doubtful Assets	51,881	39,184
कुल / Total	62,837	49,866

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

टिप्पण-6 / NOTE 6- अन्य वर्तमान देनदारियां / OTHER CURRENT LIABILITIES	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
A भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी एवं अन्य संवितरण योग्य धनराशि Subsidy & Other disbursable funds received from GOI		
I पैकेज I और II के तहत सब्सिडी विवरण: Subsidy details under Package I & II:		
केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी Central Capital Investment Subsidy:		
प्रारंभिक जमा / Opening balance	6,399	36,920
जोड़ें / Add :-		
i) भारत सरकार से प्राप्त हुई सब्सिडी / Subsidy received from GOI	22,253	-
ii) लाभार्थियों से वसूल की गई सब्सिडी राशि Subsidy recovered from beneficiaries	3,961	-
घटाएं / Less :-		
i) यूनिटधारकों को सब्सिडी के रूप में वितरित की गई राशि Amount disbursed as subsidy to unitholders	27,890	25,940
ii) भारत सरकार को वापस की गई सब्सिडी राशि Subsidy refunded to GOI	3,961	4,580
समापन शेष (नीचे का नोट) / Closing balance (Note below)	762	6,399

(नोट: वित्त वर्ष 22-23 के लिए समापन शेष में के2 इन, राज बाग श्रीनगर नामक पार्टी को देय 762 हजार रुपये शामिल हैं जो अदालत के निर्देशों के अनुसार जारी किए जाने के अधीन हैं)

(Note: Closing balance for FY 22-23 includes Rs. 762 thousands due to a party named K2 Inn, Raj Bagh Srinagar which is subject to be released as per the instructions of court)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
II केंद्रीय ब्याज सब्सिडी / Central Interest Subsidy		
प्रारंभिक जमा / Opening balance	60,024	18,589
जोड़ें / Add :-		
i) भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी / Subsidy received from GOI	53,915	2,76,796
ii) लाभार्थियों से वसूल की गई सब्सिडी राशि Subsidy recovered from beneficiaries	20,275	1,457
घटाएं / Less :-		
i) भारत सरकार को वापस की गई सब्सिडी राशि Subsidy refunded to GOI	20,275	3,261
ii) यूनिटधारकों को सब्सिडी के रूप में वितरित की गई राशि Subsidy disbursed to unitholders	85,743	2,33,556
जमा शेष / Closing balance	28,196	60,024

III	केंद्रीय व्यापक बीमा सब्सिडी: Central Comprehensive Insurance Subsidy:		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	1,643	-
	जोड़ें / Add :-		
	i) भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी / Subsidy received from GOI	8,449	4,925
	कम / Less :-		
	i) भारत सरकार को वापस की गई सब्सिडी Subsidy refunded to GOI	-	-
	ii) यूनितधारकों को वितरित की गई सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	2,485	3,282
	जमा शेष / Closing balance	7,607	1,643
1 का कुल / Total of 1 = (i+ii+iii)	36,566	68,066	

2	आईडीएस-2017 के तहत सब्सिडी: Subsidy Under IDS -2017:		
	I) ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय कैप निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) / Central Cap Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	75,647	-
	जोड़ें / Add :-		
	i) भारत सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन / Incentive received from GOI	80,462	4,34,070
	घटाएं / Less :-		
	i) भारत सरकार को वापस की गई प्रोत्साहन राशि Incentive refunded to GOI	-	-
	ii) यूनितधारकों को वितरित की गई प्रोत्साहन राशि Incentive disbursed to unitholders	1,43,834	3,58,423
कुल 2 / Total of 2	12,275	75,647	

3	एनसीएसएस-2021 के तहत सब्सिडी: Subsidy under NCSS -2021:		
	I) कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान-डब्ल्यूसीआईएस: Working Capital Interest Subvention -WCIS:		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	-	-
	जोड़ें / Add :-		
	a) भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी / Subsidy received from GOI	39,449	-
	कम / Less :-		
	a) भारत सरकार को वापस की गई सब्सिडी Subsidy refunded to GOI	-	-
	b) यूनितधारकों को वितरित की गई सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	-	-
कुल 3 / Total of 3	39,449	-	

4	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय Other Admn Exps for Implementation of New Central Scheme for Industrial Development of UT of J&K	11,997	11,997
	कुल 4 / Total of 4	11,997	11,997
	क का कुल / Total of A = (1+2+3+4)	1,00,287	1,55,709

B	अन्य वर्तमान देनदारियां Other Current Liabilities		
	i) व्यय के लिए प्रावधान / Provisions for Expenses	439	573
	ii) अन्य देनदारियां / Other Liabilities	327	505
	iii) देय शुल्क और कर / Duties and Taxes Payable	334	316
	कुल ख / Total B	1,100	1,394
	कुल (क + ख) / Total (A + B)	1,01,387	1,57,104

नोट संख्या 7- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति
 Note No.7- Property, Plant and Equipments & Intangible Assets

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Gross Block			अवमूल्यन Depreciation				निवल ब्लॉक Net Block		
		प्रारंभिक शेष के अनुसार 01-04-2022 के अनुसार Opening Balance as at 01-04-22	वर्ष के दौरान परिक्रान Additions During the Year	वर्ष के दौरान बिक्री/हटाना Sale/Deletion during the Year	31-03-23 तक कुल लागत Total Cost up to 31-03-23	बिक्री की तारीख तक बिक्री पर संचित मूल्यहास/ हटाई गई वस्तु Accum Dep. on Sale/deleted items till the date of sale	शेष आय से अवमूल्यन Depreciation adjusted from Retained Earnings	वर्ष के लिए For the Year	कुल 31-03-2023 तक Total Upto 31-03-2023	31-03-2023 तक As on 31-03-2023	31-03-2022 तक As on 31-03-2022
1	कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता) / Computers (End users)	1,930	102	3	2,030	1,510	-	198	1,708	322	421
2	कंप्यूटर (सर्वर और नेटवर्क) / Computers (Servers & Networks)	33	-	-	33	31	-	-	31	2	2
3	कार्यालय उपकरण/ Office Equipment	1,879	7	-	1,886	1,263	-	131	1,394	492	616
4	फर्नीचर और अनुसंधान/ Furniture & Fixture	1,506	-	-	1,506	1,303	-	22	1,325	181	203
5	कार्यालय साइकिल Office Cycle	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-
6	पुस्तकें/ Books	6	-	-	6	6	-	-	6	-	-
7	वाहन/ Vehicle	2,218	-	-	2,218	1,939	-	146	2,086	133	279
	कुल/ Total	7,578	109	3	7,684	6,058	-	497	6,555	1,129	1,520
	पिछले वर्ष के आंकड़े/ Last Year Figures	6,815	763	-	7,578	5,691	-	367	6,058	1,520	1,124

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

टिप्पण-8 / NOTE 8- लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम LONG TERM LOANS & ADVANCES	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
उत्तम माने गए सुरक्षित ऋण / Secured Loans considered good	2,91,997	3,47,674
उपमानक स्तर के माने गए संरक्षित ऋण Secured Loans considered sub standard	1,09,013	98,461
संदिग्ध माने गए सुरक्षित ऋण Secured Loans considered Doubtful	1,70,506	1,24,219
पूर्व भुगतान करं/Prepaid taxes	78	957
कुल / Total	5,71,594	5,71,311

टिप्पण-9 / NOTE-9 अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति OTHER NON CURRENT ASSETS	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
सुरक्षा जमा/Security Deposits	50	46
कुल / Total	50	46

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

टिप्पण-10 / NOTE 10- नकद और नकद के समान CASH AND CASH EQUIVALENTS	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
(a) नकद / Cash in Hand	43	70
(b) बैंकों में जमा शेष / Balance with Banks :		
चालू खाते / Current Accounts		
सब्सिडी खाते / Subsidy Accounts	1,00,287	1,55,709
(सब्सिडी राशि कंपनी के उपयोग के लिए नहीं बल्कि यूनिट धारकों या लाभार्थियों के लिए सवितरण के रूप में उपलब्ध है) / (the subsidy amount is not available for use of Company but for the unit holders or beneficiaries as disbursement)		
अन्य बैंक खाते / Other Bank Accounts	6,624	13,614
12 महीने तक की सावधि जमा / Fixed Deposits upto 12 months (चालू वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 4881.981 हजार रुपये और पिछले वर्ष के 3232.608 हजार रुपये सहित) / (including accrued interest of Rs 4881.981 thousands for current year & Rs 3232.608 thousands of Previous Year)	11,78,718	11,09,418
कुल / Total	12,85,672	12,78,811

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

टिप्पण-11 / NOTE 11- अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम SHORT TERM LOAN & ADVANCES	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
संदिग्ध माने गए सुरक्षित ऋण / Secured Loans considered Doubtful	4,271	4,394
उत्तम माने गए सुरक्षित ऋण / Secured Loans considered good	2,471	5,798
उत्तम माने गए असुरक्षित ऋण / Unsecured considered good :		
टीए/डीए के विरुद्ध अग्रिम / Advance against TA/DA	8	38
पूर्व प्रदत्त व्यय / Prepaid Expenses	12	13
सीकेवाईसी अग्रिम / CKYC advance	1	1
कर्मचारियों को अग्रिम / Advances to employees	-	3
कुल / Total	6,763	10,246

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

टिप्पण-12 / NOTE 12- अन्य चालू परिसंपत्तियां OTHER CURRENT ASSETS	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज Interest Accrued on Loans & advances	2,958	3,313
सरकारी प्राधिकरणों से वसूली योग्य / Recoverable from Govt. Authorities	1,034	819
कुल / Total	3,992	4,133

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

टिप्पण-13 / NOTE 13- संचालन से राजस्व / REVENUE FROM OPERATIONS	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज / Interest on Loans & advances	52,196	31,389
प्रोसेसिंग फीस / Processing Fees	108	223
अग्रिम फीस / Upfront fees	50	454
कुल / Total	52,354	32,066

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

टिप्पण-14 / NOTE 14- अन्य आय OTHER INCOME	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
सावधि जमा पर ब्याज / Interest on Fixed Deposit Receipts	60,233	55,821
विविध आय* / Misc Income*	-	-
कुल / Total	60,233	55,821

*इसमें एक हजार से कम राशि यानी वित्त वर्ष 22-23 के लिए 0.06 हजार रुपये और वित्त वर्ष 21-22 के लिए 0.05 हजार रुपये शामिल हैं)

* It includes amount less than thousand i.e. Rs 0.06 thousand for FY 22-23 and Rs 0.05 thousand for FY 21-22)

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

टिप्पण-15 / NOTE 15- कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
वेतन एवं अन्य भत्ते / Salaries & Other allowances	19,519	17,935
भविष्य निधि में योगदान / Contribution to Provident Fund	1,639	1,495
पेंशन में योगदान / Contribution to Pension	1,366	1,246
छुट्टी वेतन / Leave Salary	828	510
एलआईसी प्रीमियम / LIC Premium	22	21
ग्रेच्युटी / Gratuity	1,912	1,102
कर्मचारियों के चिकित्सा पर व्यय / Medical expenses to employees	-	27
प्रशासन शुल्क (पेंशन) / Adm Charges (Pension)	5	5
सीआरए सेवा शुल्क / CRA Service charges	2	2
कुल / Total	25,292	22,344

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

टिप्पण-16 / NOTE 16- अन्य खर्चे OTHER EXPENSES	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2022
विवरण / PARTICULARS		
सीएसआर व्यय [नोट संख्या 17(के) देखें] CSR Expenses [Refer to Note no. 17(k)]	1,356	1,566
व्यावसायिक और कानूनी शुल्क / Professional and Legal Charges	195	142
लेखापरीक्षक शुल्क / Auditor Fees :		
ऑडिट शुल्क [नोट संख्या 17(जी) देखें] Audit Fee [Refer to Note no. 17(g)]	89	89
प्रमाणीकरण शुल्क / Certification Charges	4	3
विलंब शुल्क और कर / Late Fees & Taxes	2	22
निदेशक एवं अन्य शुल्क / Director & Other Fees	161	187
संचालन एवं रखरखाव शुल्क / Running & Maintenance Charges	1,083	1,007
छपाई और स्टेशनरी / Printing & Stationery	252	276
व्यावसायिक व्यय [नोट (i)] / Business Expenses [Note (i)]	2,561	6,994
विविध व्यय / Miscellaneous Expenses	609	381
अग्रिमों पर प्रावधान [नोट (ii)] / Provisions on Advances [Note (ii)]	13,542	16,326
कुल / Total	19,853	26,994

नोट (i): वित्त वर्ष 22-23 के दौरान सीजीटीएमएसई खर्चों की मात्रा में कमी आई है क्योंकि कंपनी ने सीजीटीएमएसई के साथ अपना परिचालन कम कर दिया है जिसके कारण व्यावसायिक खर्चों में कमी आई है।

Note (i) : There has been reduction in amount of CGTMSE expenses during FY 22-23 as company has reduced its operations with CGTMSE due to which there is reduction in business expenses.

नोट (ii) में शामिल हैं / Note (ii) contains :		
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for standard assets created	(148)	46
अवमानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for sub standard assets created	992	3,298
संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful assets created #	12,697	12,982
कुल / Total	13,542	16,326
<p># अग्रिमों के विरुद्ध संदिग्ध संपत्तियों के प्रावधान इस बात पर विचार करते हुए बनाए गए हैं कि प्राथमिक और संपार्श्विक सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य 31 मार्च, 2023 तक ऋण के बकाया शेष से अधिक है। हालाँकि, प्राथमिक और संपार्श्विक सुरक्षा का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और कंपनी चालू वर्ष में इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य बना रही है।</p> <p># The provisions for doubtful assets against advances are created considering that the realisable value of primary & collateral security are more than outstanding balances of loan as on March 31, 2023. However, the valuation of primary & collateral security is ongoing process and the company is targeting to complete the process in current year.</p>		

टिप्पण सं. 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर नोट्स
NOTE NO: 17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES ON THE FINANCIAL STATEMENTS

1. सामान्य जानकारी / GENERAL INFORMATION:

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक निगम है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए 2002 के प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज के तहत स्थापित किया है। जिसके द्वारा निगम पर्यटन, परिवहन, विनिर्माण, होटल उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा और भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ परामर्शी सेवाएं प्रदान करके यह उद्योग विकास में बहुआयामी भूमिका निभाता है। निगम जम्मू और कश्मीर राज्य में उद्योग के लिए भारत सरकार के प्रोत्साहन के संवितरण लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited is a Corporation incorporated under Companies Act, 1956 owing its Origin to the Prime Minister Economic Packages of 2002 for the state of Jammu & Kashmir where by Corporation has Multidimensional role in Industrial Development of the State of Jammu & Kashmir by Providing Financial Assistance as well as Consultancy Services to the Existing and Upcoming Entrepreneurs in the Various Sectors like Tourism, Transport, Manufacturing, Hotel Industries etc. Corporation also acts as Nodal Agency to for Disbursement of Government of India Incentives to the Industry in the state of Jammu & Kashmir.

2. लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a) लेखांकन का आधार / Basis of Accounting:

वित्तीय विवरण भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार एक संग्रहित आंकड़ों के आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन (कंवेशन) के तहत तैयार किये जाते हैं। जीएएपी में अधिनियम के प्रावधानों कंपनीज (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अनिवार्य लेखांकन मानक शामिल है।

These financial statements are prepared in accordance with Indian Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) under the historical cost convention on an accrual basis. GAAP comprises mandatory accounting standards as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the provisions of the Act.

b) अनुमान का उपयोग / Use of Estimates:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमानों और पूर्वानुमान को बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरण की तारीख के दौरान संसूचित परिसंपत्तियों और देयताओं और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की संसूचित मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई संशोधन वर्तमान और भविष्य में संभावित रूप से पहचान की जाती है।

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results may differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

c) नकद एवं नकद समतुल्य / Cash & Cash Equivalents:

नकद और नकद समतुल्य में कैश-इन-हैंड और बैंक जमा शामिल है। नकद समतुल्य लघु अवधि राशि अत्यधिक

तरलता निवेश है जो ज्ञात मात्रा में आसानी से नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं।

Cash & Cash Equivalents includes cash-in-hand and bank deposit. Cash equivalents are short-term balances, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

d) **नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement:**

नकद प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके संसूचित किया जाता है जिसके द्वारा असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन और पिछले या भावी नकद जमा या भुगतान के किसी भी अवहेलना या अभिवृद्धि के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के प्रचालन निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह अलग हो जाता है।

Cash Flows are reported using the indirect method, whereby profit/ (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

e) **संपत्ति संयंत्र उपकरण / Property Plant & Equipment:**

संपत्ति संयंत्र और उपकरण लागत कम संचित मूल्यहास और हानि नुकसान पर बताए जाते हैं यदि किसी भी लागत में खरीद मूल्य और संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल है।

Property plant & Equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any Cost comprises the purchase price and any other directly attributable costs of bringing the assets to its working condition for its intended use.

f) **अमूर्त संपत्ति / Intangible Assets:**

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत कम संचित परिशोधन पर अभिलिखित किया जाता है और हानि का शुद्ध यदि कोई हो तो अमूर्त परिसंपत्तियों को केवल तभी पहचाना जाता है जब यह संभावना हो कि भविष्य में संपत्ति के कारण होने वाले आर्थिक लाभ उद्यमों को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

The Intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any, Intangible assets are recognized only if it is probable that the future economic benefit that are attributable to the assets will flow to the enterprises and the cost of the asset can be measured reliably.

g) **अवमूल्यन और परिशोधन / Depreciation & Amortization:**

नियत परिसंपत्तियों को परम्परागत लागत पर उल्लिखित किया गया है और अवमूल्यन को उनसे घटाया गया है। नियत परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन स्ट्रेट लाइन पद्धति पर उपलब्ध कराया गया है और इसकी गणना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II निर्धारित नियत परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि के आधार पर किया गया है।

The Property plant & Equipment are stated at Historical Cost and Depreciation is reduced there from. Depreciation on Property plant & Equipment is provided on Straight Line Method & has been calculated on the basis of useful life of Fixed Assets as prescribed in schedule II of Companies Act 2013.

h) **कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ / Employee Retirement Benefits:**

सेवानिवृत्ति के लाभों को निम्नलिखित तरीकों से निपटाया जाता है:

Retirement benefits are dealt with in the following manner:

i) भविष्य निधि का हिसाब मान्यताप्राप्त निधियों में किए गए योगदान के साथ संचय के आधार पर किया जाता है।

Provident Fund is accounted on accrual basis with contribution made to recognized funds.

ii) अवकाश नकदीकरण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है और सेवानिवृत्ति के समय देय होता है।

Leave Encashment is determined on the basis of actuarial valuation at the year end and payable at the time Superannuation.

iii) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन और समर्थित एलआईसी समूह ग्रेच्युटी योजना के आधार पर निर्धारित की जाती है।

Gratuity to Employees is determined on the basis of actuarial valuation at the year end and backed LIC Group Gratuity Scheme.

i) **राजस्व मान्यता / Revenue Recognition:**

i) अग्रिमए अग्रिम शुल्क और अन्य प्रभारों पर ब्याज से प्राप्त राजस्व का संचय आधार पर लेखा होता है।

Revenue from Interest on Advances, Upfront Fees and Other Charges account for on Accrual Basis.

ii) एकमुअल आधार पर ब्याज से अर्जित आय माना जाता है।

Interest Earned is recognized on accrual basis.

iii) नोडल एजेंसी प्रभारों की गणना जमा आधार पर की जाती है।

Nodal agency charges are accounted on receipt basis.

j) **आस्थगित कर / Deferred Tax:**

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 फरवरी, 2018 की अपनी अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया है कि स्थगित कर या स्थगित देयता से संबंधित लेखांकन मानक 22 या भारतीय लेखांकन मानक 12 का प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होगा इसलिए इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उक्त अधिसूचना से पहले अवधि के लिए आस्थगित कर वापस नहीं हुआ है।

MCA vide its Notification dated 5th February, 2018 has notified that the Provision of Accounting Standard 22 or Indian Accounting Standard 12 relating to deferred tax or deferred liability shall not apply, for seven years with effect from 1st April, 2017 to a Government Company. Hence no provision has been created this year.

Deferred tax Created for the period before the date of above notification has not been reversed.

k) **आयकर / Income Tax:**

संगत कर दरों और कर कानूनों के अनुसार गणना की गई कर देयता के आधार पर वर्तमान कर के लिए एक प्रावधान किया गया है।

A provision is made for the current tax based on tax liability computed in accordance with relevant tax rates and tax laws.

l) **प्रावधान और आकस्मिकताएँ / Provisions and Contingencies:**

1. कंपनी एक प्रावधान करती है कि जब अतीत की घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है जिसे संभवतः संसाधनों के बहिप्रवाह की आवश्यकता होती है और एक विश्वसनीय अनुमान देयता राशि से बनाया जा सकता है।

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

2. आकस्मिक देनदारियों का खुलासा शामिल मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

Contingent Liabilities are disclosed after a careful evaluation of the facts and legal aspects of the matter involved.

m) **संपत्ति की अनुपस्थिति (इंपेयरमेंट) / Impairment of Assets:**

प्रत्येक तुलन पत्र में पर, प्रबंधन यह निर्धारित करने के लिए अपनी परिसंपत्तियों की मात्रा की समीक्षा करता है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि उन संपत्तियों को इंपेयरमेंट माना जाता है, जब परिसंपत्ति की लागत इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। उस वर्ष लाभ और हानि खाते में एक हानि का शुल्क लगाया जाता है जिसमें किसी परिसंपत्ति को इंपेयरमेंट माना जाता है। पूर्व लेखांकन अवधि में पाई गई हानि वापस की जाती है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन हुआ है।

At each balance sheet date, the Management reviews the carrying amounts of its assets to determine whether there is any indication that those assets were impaired. An asset is treated as impaired, when carrying cost of asset exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of the recoverable amount.

n) **परिचालन लीज / Operating Lease:**

कंपनी ने परिचालन पट्टा समझौते नहीं किए हैं। परिचालन पट्टा समझौते वे होते हैं जिनके तहत पट्टेदार द्वारा उपयोग के उद्देश्यों के लिए पट्टेदार को परिसंपत्तियां हस्तांतरित की जाती हैं और जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार पट्टेदार द्वारा बनाए रखे जाते हैं।

The Company has not entered into operating lease agreements. The operating lease agreements are one under which assets have been transferred by the lessor to the lessee for use purposes and risk & rewards of ownership are retained by the lessor.

o) **असाधारण और पूर्व अवधि की वस्तुएँ / Extra-ordinary and Prior Period Items:**

इसमें शामिल मामलों के तथ्यों और कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद पिछली अवधि की मदों एवं वस्तुओं को प्रकट किया जाता है।

Prior Period items are disclosed after a careful evaluation of facts and legal aspects of the matters involved.

p) **प्रति शेयर आय / Earnings Per Share:**

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर पश्चात प्रभाव सहित यदि कोई हो) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना कर के बाद लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर पश्चात प्रभाव सहित यदि कोई हो) को लाभांश, ब्याज और अन्य व्यय या संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित आय के लिए समायोजित करके प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है जो सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी कम माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण से सामान्य संचालन जारी रखने से प्रति शेयर शुद्ध लाभ में कमी आएगी।

Basic earnings per share is computed by dividing the profit/ (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of

all dilutive potential equity shares. Potential equity shares are deemed to be dilutive only if their conversion to equity shares would decrease the net profit per share from continuing ordinary operations.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31 st , 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31 st , 2022
कर के बाद वर्ष के लिए लाभ / (हानि) Profit/(Loss) for the year after tax	45977	23100
शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of shares	80000000	80000000
प्रति शेयर आय (मूल और कम) Earnings per share (Basic and diluted)	0.57	0.29

शेयरों की संख्या और प्रति शेयर इक्विटी डेटा को छोड़कर राशि ₹ हजारों में /

(Amount In ₹ Thousands except no. of shares and per share equity data)

q) **संबंधित पक्ष के खुलासे / Related Party Disclosures:**

संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन का खुलासा ए.एस.-18 "संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण" के अनुसार किया जाता है। तदनुसार संबंधित पक्ष के लेन-देन का नाम ए पार्टियों के बीच संबंध का ब्यौराए लेनदेन की प्रकृति और लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया राशि के बारे में प्रकटीकरण के खुलासे किये जाते हैं।

Transactions between related parties are disclosed as per AS-18, "Related Party Disclosures". Accordingly disclosures regarding the name of transacting related party, description of the relation between the parties, nature of transactions and the amount outstanding as at the end of accounting year, are made.

r) **अनुपात / Ratios:**

विवरण Particulars	अंकक Numerator	भाजक Denominator	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31 st , 2023	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31 st , 2022	भिन्नता Variance
वर्तमान अनुपात Current ratio*	वर्तमान संपत्ति Current asset	वर्तमान देनदारियां Current liabilities	7.89	6.25	26%
ऋण इक्विटी अनुपात Debt-Equity Ratio	कुल ऋण Total Debt	शेयरधारकों की इक्विटी Shareholder's equity	-	-	0%

ऋण सेवा कवरेज अनुपात Debt Service Coverage Ratio	ईबीआईटी EBIT	जार Debt	-	-	0%
इक्विटी अनुपात पर वा. पसी Return on Equity Ratio	करों के बाद लाभ Profit after taxes	औसत शेयरधारक की इक्विटी Average Shareholder's equity	0.03	0.01	0%
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात Trade Receivables turnover ratio	आय Revenue	औसत व्यापार प्राप्य Average Trade Receivable	-	-	-
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात Trade payables turnover ratio	सेवाओं की खरीद Purchase of services	औसत व्यापार देय Average Trade payable	-	-	-
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात Net capital turnover ratio	आय Revenue	कार्यशील पूंजी Working capital	0.05	0.03	2%
शुद्ध लाभ अनुपात Net profit ratio	करों के बाद लाभ Profit after taxes	आय Revenue	0.88	0.72	16%
नियोजित पूंजी पर रि. टर्न Return on Capital employed	ईबीआईटी EBIT	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन Capital Employed	0.08	0.05	4%

कंपनी पर लागू अनुपातों का उल्लेख किया गया है।

The ratios applicable to company have been disclosed.

नोट: वर्तमान देनदारियों का मुख्य घटक डीपीआईआईटी, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी धनराशि है जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लाभार्थी औद्योगिक इकाइयों के बीच वितरित किया जाना है। इस मद के अंतर्गत आने वाली कुल राशि में से, बड़ी राशि वर्ष के दौरान वितरित की गई जिससे वर्तमान देनदारियां कम हो गईं। इसके अलावा ऋणों और अग्रिमों की वसूली हुई है जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान देनदारियों में मुख्य रूप से कमी के परिणामस्वरूप अनुपात में भिन्नता आई है।

Note: Main constituent of current liabilities is Subsidy funds received from DPIIT, GOI to be disbursed among the beneficiary Industrial units in the UT of J&K and UT of Ladakh. Out of the total amount appearing under this head, major amount were disbursed during the year that has reduced current Liabilities. Further there has been recovery of loans & advances which has resulted in increase in current assets. Majorly reduction in current liabilities from the last year has resulted in variance in ratio.

नोट क्रमांक 18 / Note No 18

अन्य सूचना / Other Information:-

- a) कंपनी को 'आपूर्तिकर्ताओं' से सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकस्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है और इसलिए उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक भुगतान देय ब्याज के साथ वर्ष के अंत में अवैतनिक राशि से संबंधित यदि कोई खुलासा किया गया है, तो उसे नहीं दिया गया है।

The Company has not received any intimation from 'Suppliers' regarding their status under the Micro and Small Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the yearend together with interest paid / payable as required under the said Act have not been given.

- b) वित्तीय वर्ष 2022.23 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 21445.354 हजार रुपये का कर भुगतान किया गया है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में 6023.354 हजार रुपये शामिल हैं।

Total Tax amounting to Rs 21445.354 thousands has been paid by the company during the Financial Year 2022-23 which includes Rs 6023.354 thousands as Tax Deducted at Source (TDS) by the banks during current Financial Year.

- c) परिपत्र संख्या डीबीएनआर (पीडी) सीसी. संख्या 092 / 03.10.001 / 2017-18 दिनांक 31-05-2018 द्वारा जारी आरबीआई के निर्देश के संदर्भ में प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक रिजर्व फंड बनाएगी और उसमें हर साल अपने शुद्ध लाभ के बीस प्रतिशत से कम राशि का हस्तांतरण करेगी, जैसा कि लाभ और हानि खाते में और किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले किया गया है। इस निर्देश के संदर्भ में चालू वर्ष के दौरान 9195 हजार रुपये की राशि वैधानिक आरक्षित निधि में हस्तांतरित की गई है।

In terms of RBI direction issued vide circular no DBNR(PD) CC No. 092/03.10.001/2017-18 dated 31-05-2018 every non-banking financial company shall create a reserve fund and transfer therein a sum not less than twenty per cent of its net profit every year as disclosed in the profit and loss account and before any dividend is declared. In terms of this direction an amount of Rs 9195 thousands/- has been transferred to statutory reserve fund during the current year.

- d) प्रबंधन की राय में और उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में चालू परिसंपत्तियों ऋणों और अग्रिमों की प्राप्ति पर मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर वे बैलेंस शीट में बताए गए हैं।

In the opinion of the Management and to the best of their knowledge and belief, the value on realization of current assets, loans & advances in the ordinary course of business will not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

- e) निगम को जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन के वितरण के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इन योजनाओं/निधियों की अप्रयुक्त राशि को प्घर्तमान देयता मद के अंतर्गत रखा गया है।

The Corporation has been designated as Nodal Agency of Central Government for disbursement of various subsidies and incentives for industrial units in the State of Jammu & Kashmir. The unutilized amount on account of these schemes/funds has been parked under the Head "Current Liabilities".

- f) 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट में क्रमशः ग्रेच्युटी और अवकाश वेतन देनदारियों को शामिल करने के लिए भारतीय एलआईसी की कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस योजना और समूह अवकाश नकदीकरण योजना के तहत परिभाषित लाभ योजनाओं का विवरण इस प्रकार है।

The details of defined benefit plans under Employees Group Gratuity Assurance Scheme and Group Leave Encashment Scheme of LIC of India for covering Gratuity and Leave Salary liabilities respectively recognized in the Balance Sheet as on 31st March 2023 is as under:-

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	उपहार (रु.) Gratuity (Rs.)	छुट्टी वेतन (रु.) Leave Salary (Rs.)
1	नवीनीकरण दिनांक के अनुसार वर्तमान मूल्य Present Value as on renewal Date	8957.231	8786.222
2	मौजूदा निधि के लिए अतिरिक्त योगदान Additional Contribution for existing fund	1469.232	725.926
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	439.356	101.780
4	छूट की दर /Discount rate	7%	7%

g) लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक / Remuneration to Auditors :

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
Audit Fee	Rs 89.38/-	Rs 89.38/-

कुल लेखापरीक्षा शुल्क 89,38 हजार रुपये है जिसमें लेखापरीक्षा शुल्क प्रावधान के रूप में 82,000 हजार रुपये और 7,380 हजार रुपये अयोग्य इनपुट शामिल है जिसे चालू वर्ष में खर्च कर दिया गया है क्योंकि कंपनी अयोग्य इनपुट को व्यय के संबंधित मद में स्थानांतरित करती है।

Total audit fees is Rs 89.38 thousands which includes Rs 82.00 thousands as audit fee provision and Rs 7.380 thousands is ineligible input which has been expensed off in current year as company transfers the ineligible input in the respective head of expense.

h) संबंधित पक्ष का प्रकटीकरणरू एएस.18 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा नीचे दिया गया है:

Related Party Disclosure: As per AS-18 the disclosure of transactions with related parties are given below:

निगम का कोई संबंधित पक्ष नहीं है। वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक नीचे दिया गया है:

The Corporation does not have any related party. Remuneration paid to key managerial personnel during the year is given below:

क्र.सं. S.No	नाम Name	पद का नाम Designation	राशि हजारों में (रुपये) Amount in Thousands (Rs)
1	डॉ जिविषा जोशी Dr Jivisha Joshi	प्रबंध निदेशक Managing Director	शून्य NIL
2	श्री मुदासिर अहमद Mr. Mudasir Ahmad	सीएफओ / CFO	1822.616
3	श्रीमती कामाक्षी सिंह Mrs. Kamakshi Singh	कंपनी सचिव Company Secretary	1503.735

- i) लंबित कानूनी मामलों की स्थिति इस प्रकार है: / Status of pending legal cases is as under:
निगम ने ऋण चूककर्ताओं के खिलाफ विभिन्न मामले दायर किए हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

The Corporation has filed various cases against the loan defaulters which are pending at various courts of UT of J&K. The detail of which is given below:

- (1) ऋण चूककर्ताओं के विरुद्ध दायर वाद मामलों की स्थिति:

Status of Suit cases filed against the loan defaulters:

क्र.सं. S.No	दल Party	राशि हजार रुपये में Amt In Rs 000's	अदालत Court	वर्तमान स्थिति Current Status
1	मैसर्स एसके फूड्स खुनमोह M/S S.K Foods Khunmoh	2000	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर अदालत Addl. District & Ses- sion Judge, Srinagar court	ट्रायल जारी है Under Trail
2	मैसर्स क्यूएफ एंटरप्राइजेज, आई. जीसी, लस्सीपोरा M/S Q.F Enterprises, IGC, Lassipora	3000	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर अदालत Addl. District & Ses- sion Judge, Srinagar court	ट्रायल जारी है Under Trail
3	मैसर्स अपसिलॉन फार्मा लैब, आईजीसी, लस्सीपोरा M/S Upsilon Pharma Lab, IGC, Lassipora	3000	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर अदालत Addl. District & Ses- sion Judge, Srinagar court	ट्रायल जारी है Under Trail
4	मैसर्स इलेक्ट्रोमैटिक, आईई बरजुल्लाह, श्रीनगर M/S Electromatic , IE Barzullah, Srinagar	2437	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर अदालत Addl. District & Ses- sion Judge, Srinagar court	ट्रायल जारी है Under Trail
5	मैसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगाम, बडगाम M/S New Gash Enterprises, Ichgam, Budgam	6432	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर अदालत Addl. District & Ses- sion Judge, Srinagar court	ट्रायल जारी है Under Trail
6	मैसर्स एल्वी ओरिएंटल्स, इचगाम, बडगाम M/S Alvy Orientals, Ichgam, Budgam	3619	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर अदालत Addl. District & Ses- sion Judge, Srinagar court	ट्रायल जारी है Under Trail

क्र.सं. S.No	दल Party	राशि हजार रुपये में Amt In Rs 000's	अदालत Court	वर्तमान स्थिति Current Status
7	मैसर्स अलमदार स्टील इंडस्ट्रीज, आईजीसी, लस्सीपोरा M/s Alamdar Steel Industries, IGC, Lassipora	2796	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर अदालत Addl. District & Session Judge, Srinagar court	ट्रायल जारी है Under Trail
8	मैसर्स सेवन स्टार इंजीनियरिंग वर्क्स, लेह M/s Seven Star Engineering Works , Leh	2124	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू न्यायालय Addl. District & Session Judge, Jammu court	ट्रायल जारी है Under Trail
9	मैसर्स सनराइज मिल्क फूड्स, आईजीसी, सांबा M/s Sunrise Milk Foods, IGC, Samba	5533	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू न्यायालय Addl. District & Session Judge, Jammu court	ट्रायल जारी है Under Trail
10	मैसर्स एसएस वायर्स एंड फैब्रिकेशन, जून पूरा, हाजिन। M/s S.S Wires & Fabrication, Zoon Poora, Hajin.	20000	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर अदालत Addl. District & Session Judge, Srinagar Court	ट्रायल जारी है Under Trail

- 2) **चेक बाउंसिंग मामलों का विवरण:** कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानीय अदालतों में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत ऋण चूककर्ताओं के खिलाफ निम्नलिखित चेक बाउंस मामले दर्ज किए गए हैं:

Detail of cheque bouncing cases filed under NI Act : Following cheque bouncing cases have been filled by the Company against the loan defaulters under Negotiable Instrument Act in various local courts :

क्र.सं. S.No	पार्टी का नाम Name of Party	अदालत Court	चेक नं. Cheque No.	राशि हजार रुपये में Amount In Rs000's	मामला दर्ज करने की तारीख Date of filing of case	वर्तमान स्थिति Current Status
1	मैसर्स सेवन स्टार इंजीनियर वर्क्स M/s Seven Star Engineer ing Works	सब.रजिस्ट्रार सांबा कोर्ट Sub-Registrar, Samba Court	10870 108672 108674 108663 108676	560 550 500 100 510	01-06-2012 02-08-2012 21-10-2013 21-10-2013 03-05-2013	ट्रायल जारी है under trail

क्र.सं. S.No	पार्टी का नाम Name of Party	अदालत Court	चेक नं. Cheque No.	राशि हजार रुपये में Amount In Rs000's	मामला दर्ज करने की तारीख Date of filing of case	वर्तमान स्थिति Current Status
2	मैसर्स न्यू गश इंटरप्राइजेज M/S New Gash Enter- prises	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3 rd Addl. Munsif, Srina- gar court	055352/	100	03-03-2020	ट्रायल जारी है Under Trail
			55354	100	12-03-2020	
			55355	100	11-06-2020	
			55356	200	11-06-2020	
			449677	200	02-12-2020	
			449678	200	02-12-2020	
3	मैसर्स एल्वी ओरिएंटल्स M/S Alvy Ori- entals	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3 rd Addl. Munsif, Srina- gar Court	746793	200	11-06-2020	ट्रायल जारी है Under Trail
			746794	285	26-08-2020	
4	मैसर्स अल-अमीन इंफ्रास्ट्रक्चर M/S Al-Ameen Infrastructure	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3 rd Addl. Munsif, Srinagar Court	42547	500	26-08-2020	ट्रायल जारी है Under Trail
			42548	500	26-08-2020	
			42549	800	26-08-2020	
5	मैसर्स इलेक्ट्रोमेटिक M/S Electromatic	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3 rd Addl. Munsif, Srinagar Court	501948	240	26-08-2020	ट्रायल जारी है Under Trail
			501949	150	26-08-2020	
			501950	200	26-08-2020	
6	मैसर्स अलमदार स्टील इंडस्ट्रीज M/S Alamdar Steel Industries	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3 rd Addl. Munsif, Srinagar Court	714049	150	24-12-2020	ट्रायल जारी है Under Trail
			714050	170	01-03-2021	
7	मुश्ताक अहमद माग्रे Mushtaq Ahmad Magray	उप रजिस्ट्रार, श्रीनगर Sub Registrar, Srinagar	182230	100	22.10.2022	ट्रायल जारी है Under Trail
			188232	100	18.11.2022	
					20.12.2022	
8	अब्दुल हमिद वानी पुत्र रुस्तम वानी, पंपोरा Abdul Hamid Wani S/o Rustum Wani, Pampora	तृतीय अपर मुंसिफ, श्रीनगर कोर्ट 3 rd Additional Munsif, Srinagar	665522	252	06.02.2023	ट्रायल जारी है Under Trail

j) ब्याज की वसूली के पश्चात एनपीए खातों में ब्याज आय की गणना की जाती है।

Interest income is recognized in NPA accounts as and when interest is realized.

k) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को वर्ष 2022-23 के लिए 1355.756 हजार रुपये की राशि का योगदान दिया।

During the year Company contributed an amount of Rs 1355.756 thousands/- for the year 2022-23 towards Sulabh International Social Service Organization under Corporate Social responsibility (CSR) u/s 135 of the Companies Act, 2013.

l) जैसा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकार करने या धारण करने वाली) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड आरबीआई के निर्देश 2016 दिनांक 01.09.2016 के पैरा 9 (1) के प्रावधानों के तहत आवश्यक है, 31.03.2023 तक अग्रिम का प्रावधान किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

As required under the provisions of Para 9(1) of Non-Banking Financial (Non deposit accepting or holding) Companies Prudential Norms RBI directions 2016 dated 01.09.2016, in provision of Advances as on 31-03-2023 is given as per detail given below :

क्र.सं. S.No	संपत्ति का प्रकार Type of Asset	रकम हजारों में (₹.) Amount in Thousands (Rs.)	प्रावधान (%) Provision (%)	राशि हजारों में (₹.) Amount in Thousands (Rs.)
1	उप मानक परिसंपत्तियाँ (क) अल्पकालिक ऋण (ख) लंबी अवधि के ऋण Sub Standard Assets a) Short term loan b) Long term loan	शून्य 109013.332 / - (मूलधन) Nil 109013.332 / - (Principal)	शून्य Nil 10%	शून्य Nil 10901.333
2	संदिग्ध संपत्ति (क) अल्पकालिक ऋण (ख) लंबी अवधि के ऋण Doubtful Assets a) Short term loan b) Long term loan	4270.553 / - (मूलधन) 46275.146 / - (मूलधन) 111527.690 / - (मूलधन) 11341.864 / - (मूलधन) 1361.628 / - (अन्य शुल्क) 4270.553 / - (Principal) 46275.146 / - (Principal) 111527.690 / - (Principal) 11341.864 / - (Principal) 1361.628 / - (other charges)	50% 20% 30% 50% 100%	2135.277 9255.029 33458.307 5670.932 1361.628

m) सामाजिक सुरक्षा पर नया कोड, 2020 (कोड) अधिनियमित किया गया है, जो भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए कंपनी के योगदान को प्रभावित करेगा। परिवर्तन लागू होने की प्रभावी तिथि अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय) ने 13 नवंबर, 2020 को संहिता के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। कंपनी अपना मूल्यांकन पूरा करेगी और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव डालेगी जिसमें संहिता प्रभावी हो जाती है और संबंधित नियम प्रकाशित हो जाते हैं।

The new Code on Social Security, 2020 (the Code) has been enacted, which would impact the contributions by the Company towards Provident Fund and Gratuity. The effective date from which the changes are applicable is yet to be notified. The Ministry of Labour and Employment (the Ministry) has released draft rules for the Code on November 13, 2020 and has invited sugges-

tions from stake holders which are under active consideration by the Ministry. The Company will complete its evaluation and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.

- n) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

The Company has not done any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies act, 2013 or section 560 of Companies act, 1956.

- o) कंपनी का ऐसा कोई लेन.देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

The Company does not have any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

- p) कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है।

The Company has neither traded nor invested in Crypto Currency or Virtual Currency.

- q) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 की धारा 45 और उसके तहत बनाए गए नियम) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

There are no proceedings that has been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (section 45 of 1988 and the rules) made thereunder.

नोट 1 से 18 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर अन्य नोट्स सहित) खातों का एक अभिन्न अंग हैं और इन्हें विधिवत प्रमाणित किया गया है।

Notes 1 to 18 (including Significant Accounting Policies and other Notes on Accounts) form an integral part of the accounts and have been duly authenticated.

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

As per our report of even date annexed.

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

For and On Behalf of Board

राजेश सनोत्रा
(साथी)

सदस्यता संख्या : 512893

Rajesh Sanotra
(Partner)

Membership No : 512893

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 15 जुलाई 2023

Place : New Delhi

Dated: 15th July 2023

यूडीआई : 23512893BGYKLF9459

UDIN: 23512893BGYKLF9459

(जीविशा जोशी)
प्रबंध निदेशक

(Jivisha Joshi)
Managing Director

(गौहर आरिफ)
महाप्रबंधक

(Gowhar Arif)
General Manager

(कामाक्षी सिंह)
कंपनी सचिव

(Kamakshi Singh)
Company Secretary

(बालामुरुगन डी)
निदेशक

(Balamurugan D.)
(Director)

मुदासिर अहमद
(सीएफओ)

Mudasir Ahmad
(CFO)

(प्रियंका गुप्ता)
(प्रबंधक)

(Priyanka Gupta)
(Manager)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-II/17(1)/JKDFC/
वार्षिक लेखा/(2022-23)/2023-24/205
दिनांक: 16 AUG 2023

सेवा में

प्रबंध निदेशक
जम्मू एवं कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड,
ग्राउंड फ्लोर, जवाहर लाल नेहरू उद्योग भवन,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू,
जम्मू एवं कश्मीर- 180 014

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. आ. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड
के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013
की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग अवसंरचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेख है कि उक्त को उनके द्वारा 24 जुलाई 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से
हस्ता /—
(एस अह्लादिनी पांडा)
लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16/08/2023

COMMENTS OF THE COMPTROLLER
AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6) (B) OF THE
COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF JAMMU
AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE
CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR
ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 24 July 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India
Sd/-
(S. Ahlladini Panda)
Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affairs)

Place: New Delhi
Date: 16/08/2023



भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



**JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE
CORPORATION LIMITED**
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : भूतल, जवाहर लाल नेहरू उद्योग भवन, रेल हेड कॉम्प्लेक्स,
जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) – 180012

Regd. Office : Ground Floor, Jawahar Lal Nehru, Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu (J&K) - 180012

कॉर्पोरेट कार्यालय: भूतल, संगत घर, बेमिना, श्रीनगर (जे एंड के)—190014

Corporate Office : Ground Floor, Sanat Ghar, Bemina, Srinagar (J&K) - 190014

शाखा कार्यालय: प्रथम तल, डीआरडीए भवन, चीता चौक, लेह—194101

Branch Office : 1st Floor, DRDA Building, Cheetah Chowk, Leh - 194101

शाखा कार्यालय: पहली तल, आरएंडबी भवन, नया बस स्टैंड, इकबाल पुल के पास,
कारगिल यू.टी लद्दाख—194103

Branch Office : 1st Floor, R&B Building, New Bus Stand,
Near Iqbal Bridge, Kargil U.T of Ladakh-194103